खण्ड-02 सत्र -02 (भाग-01) / अंक-19

बृहस्पतिवार 26 नवम्बर, 2015 / 05 मार्गशीर्ष, 1937 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

द्वितीय सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-02 (भाग-01) में अंक 15 से अंक 25 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा

सचिव

PRASANNA KUMAR SURYADEVARA

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editting)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-2 भाग (1) बृहस्पतिवार, 26 नवम्बर, 2015/5 मार्गशीर्ष, 1937 (शक) अंक-19

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे आरम्भ हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय **(श्री राम निवास गोयल)** *पीठासीन हुए।*

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए:-

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री अजेश यादव
6. श्री महेन्द्र गोयल
7. श्री वेद प्रकाश
8. कु. सुखवीर सिंह दलाल
9. श्री ऋतुराज गोविन्द
10. श्री रघुविन्द्र शौकीन
11. सुश्री राखी बिड़ला
12. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
13. श्री राजेश गुप्ता
14. श्री सोमदत्त
15. सुश्री अलका लाम्बा
16. श्री आसिम अहमद खान
17. श्री विशेष रवि
18. श्री हजारी लाल चौहान
19. श्री शिव चरण गोयल
20. श्री गिरीश सोनी

21. श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन)
22. श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर)
23. श्री राजेश ऋषि
24. श्री महेन्द्र यादव
25. श्री नरेश बाल्यान
26. श्री आदर्श शास्त्री
27. श्री गुलाब सिंह
28. श्री कैलाश गहलोत
29. कर्नल देवेन्द्र सहरावत
30. सुश्री भावना गौड़
31. श्री विजेन्द्र गर्ग
32. श्री प्रवीण कुमार
33. श्री मदन लाल
34. श्री सोमनाथ भारती
35. श्रीमती प्रमिला टोकस
36. श्री नरेश यादव
37. श्री करतार सिंह तंवर
38. श्री प्रकाश
39. श्री अजय दत्त
40. श्री दिनेश मोहनिया
41. श्री सौरभ भारद्वाज
42. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
43. श्री सही राम
44. श्री नारायण दत्त शर्मा
45. श्री अमानतुल्लाह खान
46. श्री राजू धिंगान
47. श्री मनोज कुमार
48. श्री नितिन त्यागी
49. श्री एस. के. बग्गा
50. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
51. श्री राजेन्द्र पाल गौतम
52. सुश्री सरिता सिंह
53. मो0 इशराक
54. श्री श्रीदत्त शर्मा
55. चौ. फतेह सिंह
56. श्री जगदीश प्रधान

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-2 भाग (1) बृहस्पतिवार, 26 नवम्बर, 2015/5 मार्गशीर्ष, 1937 (शक) अंक-19

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे आरम्भ हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय **(श्री राम निवास गोयल)** *पीठासीन हुए।*

26/11/2008 के पीड़ितों की स्मृति में दो मिनट का मौन

अध्यक्ष महोदय : सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन/स्वागत। सदन की कार्यवाही आरम्भ करने से पहले हम सबको ज्ञात होगा कि आज ही के दिन 26 नवम्बर, 2008 को मुम्बई में आतंकी हमला हुआ था, जिसका भारतीय सेना ने कड़ा मुकाबला किया और आतंकवादियों के इरादों को नेस्तनाबूद कर दिया। उल्लेखनीय है कि उसी हमले के दौरान मोर्चा सम्भाले हुए इसी सदन के माननीय सदस्य एनएसजी कमांडो श्री सुरेन्द्र सिंह भी घायल हुए थे और उनका कान क्षतिग्रस्त हो गया था आज वो मुम्बई गये हुए हैं, मैं उनकी बहादुरी को नमन करता हूं, शहीद हुए नागरिकों तथा भारतीय सेना के जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए सदन दो मिनट का मौन धारण करेगा, मेरी प्रार्थना है सभी अपने-अपने स्थान पर खड़े हों।

(सभी माननीय सदस्यों ने खड़े होकर दो मिनट का मौन रखा)

अध्यक्ष महोदय : ओम शांति-शांति-शांति।

संविधान दिवस

माननीय सदस्यगण आज आजाद भारत के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, आज संविधान दिवस है, भारत का संविधान इसी दिन अर्थात् 26 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था और तत्पश्चात् यह 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया था। यह भी उल्लेखनीय है कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डा. भीमराव अम्बेडकर की 125वीं वर्षगांठ भी इसी अवसर पर पूरे देश में मनाई जा रही है। मैं इस पावन दिवस पर अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से डा. अम्बेडकर तथा संविधान का निर्माण करने वाले सभी महान नेताओं और विद्वानों का पुनः स्मरण करता हूं जिनके अथक प्रयासों से संविधान का निर्माण हुआ और संविधान के अनुपालना करके भारत विश्व का सबसे बड़ा और सशक्त लोकतंत्र बना। आज हम इस सदन में संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के कारण ही जनप्रतिनिधियों के रूप में उपस्थित हैं। संविधान दिवस के इस पुनीत अवसर पर मैं भारत के संविधान की उद्देशिका पढ़ना चाहूंगा, सदन के सभी सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर मेरे साथ-साथ बोलेंगे–

(भारत का संविधान-उद्देशिका)

हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को–

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित

करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. (मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। धन्यवाद।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : सैक्शन 66 में मैं चाहूंगा इसे पढ़ना भी और फिर आप इसकी अनुमति दें कार्रवाई हो।

श्रीमती बंदना कुमारी : अध्यक्ष जी मैं एक प्रस्ताव आपके सामने रखना चाहती हूं।

ध्यानाकर्षण 'औरंज द डे' पर

अध्यक्ष महोदय : एक सैंकड बंदना जी प्रविलेज मौशन जो आपने दिया था, वो मैंने पढ़ा उस प्रविलेज मोशन में आपने परसों की घटना का जिक्र करते हुए ये कहा है कि माननीय उप मुख्यमंत्री के इशारे पर हमारे साथ गाली-गलौच हुआ, मारपीट हुई या थप्पड़ उठाने का प्रयास किया गया। अब परसों की घटना का मैं साक्षी हूं, मीडिया साक्षी है। इस ढंग की कोई घटना नहीं हुई और हां, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। यहां कुछ सदस्य जरूर आए, मैंने पूरा वीडियो क्लिप देखा है, कहीं इस प्रकार की कोई घटना नहीं है। इसलिए मैं इस प्रस्ताव को निरस्त करता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस डिसीजन के बाद मैं इस प्रस्ताव को निरस्त करता हूं। अब इसके बाद अध्यक्ष जी का फैसला आ गया है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, हम आपके इस फैसले के विरोध में, क्योंकि यहां विपक्ष को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। जिस तरह

से गाली-गलौज की जा रही है।...(व्यवधान)...जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के इशारे पर।...(व्यवधान)...

श्रीमती बन्दना कुमारी : अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से अभी तक महिलाओं के अपमान, दुर्व्यहार का मुद्दा समाचार पत्रों एवं न्यूज चैनलों के माध्यम से आया करता है। विदित हो कि आज के सारे समाचार पत्र भी।...(व्यवधान)...आज के सभी समाचार पत्रों एवं न्यूज चैनलों में विदित हो कि अध्यक्ष जी।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : वो आपकी इच्छा है। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सदन में बैठें और सदन की कार्यवाही को शान्तिपूर्वक..अब बैठिये आप।...(व्यवधान)...हां बन्दना जी।

श्रीमती बन्दना कुमारी : सभी अखबार इस प्रकार की खबरों से पटे पड़े हैं। विश्व की सर्वमान्य संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ ने।...(व्यवधान)...सोचने को मजबूर हो गयी है तथा 10 दिसम्बर 2015 तक सम्पूर्ण विश्व में उनके द्वारा ऑरेन्ज नामक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से पूरे सदन को ये सूचित करना चाहती हूं और आपके माध्यम से मैं आपसे एक आदेश मांगती हूं। जो हमारा ऐतिहासिक विधान सभा का सदन है, उसे भी ऑरेन्ज कलर से सजाया जाये, सुसज्जित किया जाये क्योंकि अभी जो दिल्ली का माहौल और पूरे देश का माहौल, जो महिलाओं के प्रति पूरा देश, पूरा विश्व चिन्तित है तो मैं आपसे सदन के माध्यम से आग्रह करती हूं कि जो ये ऐतिहासिक विधानसभा है उसको ऑरेन्ज कलर से सजाया जाए, संवारा जाए और हमें लगता है कि इस प्रस्ताव का सदन के सभी सदस्य इस प्रस्ताव को मंजूर करेंगे।

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष जी, बन्दना जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि यू. एन. ने पूरे विश्व भर में जितने भी हमारे स्मारक भवन है उनको पीले

रंग से रंगने को कहा है। अध्यक्ष जी ऑरेन्ज रंग से रंगने की ये यू. एन. की एक अच्छी पहल है। मैं इसका सम्मान करती हूं। आप बिल्कुल दिल्ली विधान सभा को ऑरेन्ज रंग से रंग दीजिए। जो जमीनी हकीकत है, वो भी हमारा फर्ज है, हम सामने लाएं। आज आपने हम सभी को, महिलाओं को भी संविधान की शपथ दुबारा दोहराने को कहा है। हमने बहुत गर्व के साथ आदरणीय भीमराव अम्बेडकर जी को याद करते हुए संविधान की शपथ को दोहराया। अध्यक्ष जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या संविधान में यह नहीं लिखा हुआ है कि इस देश की महिलाओं को बराबरी, मान-सम्मान, उसका हक और अधिकार दिया जाए। मुझे लगता है कि अगर हम महिलाओं का मान-सम्मान नहीं करते, जैसे सड़क पर ही नहीं सदन में भी देखा गया है तो क्या हम महिलाओं का ही नहीं बल्कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान का भी अपमान करते हैं। इसलिए ये अपमान किसी एक महिला का नहीं, ये अपमान इस संविधान का भी है जो महिलाओं को बराबरी का हक देने की जो वो बात करता है। आज पूरा विश्व और यू. एन. ओ. महिलाओं के प्रति अपराध की बात कर रहा है। अध्यक्ष जी, आज सुबह का टाइम्स ऑफ इण्डिया उठाया। मैं पहले से दूसरे पन्ने तक ही रुक गयी और तीसरे तक बढ़ ही नहीं पायी। पहले पन्ने पर आप आयेंगे, 62 साल की 62 years old dropped from AC Bus. आज की 62 साल की महिला। आगे आ जाईये दूसरे पन्ने पर woman killed in East Delhi shop ये मिसेज खान है 36 साल की महिला है। विधवा महिला हैं। तीन बेटियों की मां हैं। इनके कार्यस्थल पर घुस कर इनकी हत्या कर दी गयी और इनकी तीन बेटियों को अनाथ कर दिया गया। अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं ऊपर आ जाइये। gang rape, alleged for rape महिला के साथ बलात्कार की घटना टाइम्स ऑफ इण्डिया में। इसी पन्ने पर ही ओ. पी. शर्मा जी और उनके बीजेपी के अध्यक्ष की तस्वीर भी आयी है। उनका ये कहना है कि आपने जो सदन में अपनी कुर्सी से खड़े होकर ओ. पी. शर्मा जी के कहे गये शब्द पर दुःख व्यक्त

किया और आपने ये भी कहा कि रूह कांप गयी थी। उन्होंने कहा कि ये सब बातें काल्पनिक बातें हैं। ऐसा इस सदन में कुछ भी नहीं हुआ। मैं अध्यक्ष जी, चाहूंगी कि सदन की रिकार्डिंग हुई है। उन शब्दों को दर्ज किया गया है। एक बार नहीं अनेकों बार दर्ज किया गया है। अध्यक्ष जी, ये काल्पनिक बातें नहीं हैं। आप सदन को ऑरेन्ज रंग से विधान सभा को 10 दिसम्बर तक भर दीजिए। हम इसका समर्थन करते हैं। पर इस हकीकत से भी रूबरू कराते रहियेगा कि हमारी आज पांच साल की बच्ची हो या 62 साल की महिला हो, वो सुरक्षित नहीं है। संविधान ये कहता है कि आपको जो संविधान के अन्दर लिखे हुए एक-एक शब्द का सम्मान करना है तो आपको महिलाओं का सम्मान करना होगा और अध्यक्ष जी, मैं चाहती हूं कि हमारी जो मांग है हम आज भी अपनी मांग पर खड़े हैं कि ओ. पी. शर्मा जी की सदस्यता रद्द करते हुए उन्हें तुरन्त जेल भेज दिया जाना चाहिए और जब तक ये फैसला नहीं होगा, हमारा ये विरोध यहां से हम जतायेंगे और उसके साथ ही लोगों ने हमें चुनकर सदन में भेजा है, मैं तमाम दिल्ली के उन लोगों को यकीन दिलाना चाहती हूं कि हम महिलाएं इस मांग पर अड़ी रहेंगी। उसके साथ-साथ इस सदन में जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव सरकार ला रही है, हम उन प्रस्तावों पर भी गम्भीरता से चर्चा करेंगे और एक-एक प्रस्ताव जनलोकपाल जैसा ऐतिहासिक कानून इस सदन से पारित करके भी भेजेंगे लेकिन हम अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे अध्यक्ष जी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठिये। आपका क्या विषय है?

सुश्री राखी बिड़ला : सर, यही विषय है। यू. एन. ओ. का आज दिल

की गहराईयों से धन्यवाद करती हूं कि कम-से-कम आज यू. एन. ओ. ने तो इस बात की इम्पोर्टेन्स समझी कि भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए 10 दिसम्बर तक हमें जो सभी ऐतिहासिक स्मारक हैं, उन्हें सन्तरी लाईटों से रंगना चाहिए लेकिन बेहद दुख के साथ यह भी महसूस हो रहा है कि आज देश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। देश की बात तो अलग, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में तो और भयावह स्थिति है। दो साल की बच्ची हो या जैसे आज टाइम्स नॉउ में खबर छपी है चाहे वो 62 साल की महिला हो। कोई भी महिला आज सुरक्षित महसूस नहीं करती और दिल्ली छोड़ दीजिए, आसपास के इलाके छोड़ दीजिए। आज इस सदन में जहां मैं खड़ी हूं, जहां मैं चुनकर आयी थी, बहुत गौरव महसूस किया था कि एक बेटी को जनता ने जिताकर भेजा दिल्ली के कानून बनाने के लिए। अपनी विधान सभा में अच्छी व्यवस्था, अच्छा कानून स्थापित करने के लिए और ये कहते हैं हाँ, सिर्फ मैन्डेट आम आदमी पार्टी को देकर दिल्ली की जनता ने भेजा लेकिन 24 तारीख का जो काला दिन इस सदन के पटल पर, इस सदन के पन्नों पर लिखा गया, वो बहुत ही दुख का विषय है। एक चुनी हुई सम्मानित महिला के प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाना है फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि मनगढ़न्त कहानियां हैं। कौन महिला अपने आपको बाजारू कहलावाने में खुशी महसूस करेगी? कौन महिला अपने आपको रात भर घूमने वाली कहलवाने में खुशी महसूस करेगी? अध्यक्ष जी, हम उसे देश के नागरिक हैं, हम उस देश के वासी हैं, हमारी भारतीय संस्कृति में जहां महिलाओं को पूजा जाता है, जहां महिलाओं को, बेटियों को, कन्याओं को माता और भगवती के रूप में, देवी के रूप में साल में दो बार हर साल जब नवरात्र मनाया जाता है तो कन्या पूजन होता है। छोटी-छोटी कन्याओं के पैर धोकर सुख-शान्ति, सम्पन्नता और आगे बढ़ने की माता के चरणों में हम लोग गुजारिश करते हैं, अर्चना करते

हैं और प्रार्थना करते हैं लेकिन उसके उलट आज इस सदन के अन्दर सिर्फ एक महिला का अपमान नहीं हुआ, हम 6 महिला विधायकों का अपमान, आम आदमी पार्टी की महिला विधायकों का भी ये अपमान नहीं है, ये अपमान दिल्ली की उन तमाम महिलाओं का जिन्होंने बहुत विश्वास, बहुत यकीन के साथ इस दिल्ली विधान सभा में हम लोगों को चुन के भेजा और हम 6 महिलाएं अपने मान-सम्मान का एक उदाहरण पेश करते हुए आपसे कड़ी-से-कड़ी कार्रवाई की मांग नहीं कर रहे हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे साथी विधायक जो भाई यहां बैठे हैं 67 में से आप 61 साथी विधायक जो मुझे पूरी यकीन है कि आप हमारा साथ देंगे और एक स्वर में इस चीज की मांग करेंगे कि श्री ओ. पी. शर्मा को महज दो दिन सस्पेन्ड करने से काम नहीं चलने वाला है, बात नहीं बनने वाली है। ऐसी गन्दी मानसिकता वाले लोग जो महिलाओं के प्रति, जो कामकाजी महिलाओं के प्रति, राजनीति में आने वाली बहन-बेटियों के प्रति इतनी गन्दी, संकीर्ण सोच रखे हुए हैं, उनको दो दिन में ठीक नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष जी आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि अगर आपको कोई एक्जाम्पल सेट करना है दिल्ली की महिलाओं के सुरक्षा के प्रति, अगर आप इतने सेन्सिटिव हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि श्री ओ. पी. शर्मा को तुरन्त प्रभाव से, तात्कालीन प्रभाव से सस्पेन्ड किया जाए। उनकी सदस्यता रद्द की जाए और ऐसे व्यक्ति की जगह ये सम्मानित सदन नहीं, तिहाड़ जेल है। हम लोग कल भी दिल्ली के माननीय उपमुख्यमंत्री जी से मिले थे और हमने उनके सामने भी यही गुहार लगाई गयी, मांग रखी गयी, यही प्रार्थना करी कि ऐसे व्यक्ति को सदन में नहीं, तिहाड़ जेल में होना चाहिए। और बहुत खुलके बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया है।

अध्यक्ष महोदय : कन्क्लूड करिए, राखी जी प्लीज। कन्क्लूड करिए।

सुश्री राखी बिड़ला : जहां पर....सर आज बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे हम? क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है?

अध्यक्ष जी : इसको कन्क्लूड करिए।

सुश्री राखी बिड़ला : क्या हमारा कोई मान-सम्मान नहीं है? हम महिलाओं को हर जगह चुप कराया जाता है लेकिन अब हम चुप नहीं बैठने वाले। हम न्याय लेकर रहेंगे। हम 6 की 6 बहनें महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के मान-सम्मान के लिए खड़ी हैं और आवाज बुलन्द करके रहेंगे। बीजेपी का घिनौना चेहरा कल सामने आया। उन्होंने बोला कि ये सब कुछ मनगढ़न्त हैं।

अध्यक्ष महोदय : राखी जी, प्लीज कन्क्लूड करिए।

सुश्री राखी बिड़ला : कहा गया माननीय प्रधानमंत्री का। अध्यक्ष जी, कहा गया माननीय प्रधानमंत्री का बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ आन्दोलन।

प्रधानमंत्री का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन क्या वो एक जुमला था? सेल्फी विद डॉटर क्या एक चुनावी जुमला था? महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे है, अब की बार मोदी सरकार लाने की जो बात थी, क्या वो महज जुमला थी? हमें इन सब सवालों के जवाब चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की हम लोग मांग करते हैं। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, ये दिल्ली हमारी है। ये सदन हमारा है। दिल्ली की जनता ने हमें एक ऐतिहासिक मेंडेट के साथ चुनकर भेजा है जैसा कि अभी अलका लांबा जी ने बोला कि हम सदन में आयेंगे सदन में जितने भी बिल आयेंगे, उन पर चर्चा भी होगी और हम बहुत गर्व के साथ जनलोकपाल बिल के साथ-साथ तमाम बिल पास करेंगे क्योंकि ये वक्त हमारा

नहीं, दिल्ली की जनता का है। हम दिल्ली की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ अपने सम्मान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए भी लड़ेंगे। क्योंकि हम लोग यहां पर लड़ने के लिए, कुछ करने के लिए और बदलाव के लिए आए हैं। इन्हीं शब्दों के बाद बस आपसे पुनः ये गुहार है ये गुजारिश है कि आप ओ. पी. शर्मा जी को तत्काल प्रभाव से उनकी सदस्यता रद्द करते हुए उन्हें जेल भेजने का फैसला सुनाएं। बस इतनी सी आपके चरणों में प्रार्थना है धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : भावना गौड़ जी।

सुश्री भावना गौड़ : अध्यक्ष महोदय, ये देखिये आज के दैनिक जागरण में छपा हुआ है कि अपने विधायक के साथ खड़ी हुई दिल्ली की भाजपा सरकार। बहुत शर्म का विषय है। पूरा का पूरा भाजपा नेतृत्व आज ओ. पी. शर्मा जी के साथ में खड़ा हुआ है। वो ये कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं। इससे पता चलता है कि उनका वो चेहरा सामने दिखाई देता है। लेकिन पीछे कुछ और है और आगे कुछ और है। ये पूरा का पूरा सदन और इस समाज की संपूर्ण महिलाएं, पूरे के पूरे भाजपा नेतृत्व को ललकारती है और उनसे ये पूछना चाहती है कि क्या वो अपने में रहने वाली महिलाओं को भी इसी तरह का सम्मान देते है जो वो घर से बाहर निकलकर के महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगी आपके माध्यम से यू.एन. ए. ने जो कदम उठाया है, स्वाभाविक तौर पर वो प्रशंसा के लायक है लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि यू.एन.ओ. को इस विषय को उठाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्या हमारी सबकी मानवता खत्म हो गयी? क्या महिलाओं के प्रति

कोई सम्मान रहा ही नहीं हमारी दृष्टि में? हम जहां भी निकलते हैं, महिलाओं के लिए अश्लील भाषा का, शब्दों का प्रयोग करेंगे, क्या यही हमारे संस्कार जीवित रह गए है? हम भारतीय समाज में पैदा हुए लोग जो वर्ष में दो बार नवरात्रे मनाते हैं वो एक साल की कन्या से लेकर दस साल कन्याओं के पैरों को धोती हैं, उनकी पूजा करती है। यहां हिन्दुस्तान के अन्दर यू.एन.ओ. ने मुद्दा उठाया वर्ल्ड लेवल को लेकर के। मैं तो कहती हूं संसार की बात को छोड़ दीजिए भारत वर्ष की बात कीजिए और भारतवर्ष की बात छोड़िए सर, यहां तो हमें दिल्ली की चिन्ता करनी है। दिल्ली से जुड़ी हुई महिलाओं की चिंता करनी है उनके सम्मान की चिंता करनी है। अध्यक्ष महोदय, किसी एक कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है 'नारी का सम्मान करो, नारी नर की खान' नारी का सम्मान करो, नारी से पैदा हुए राम-कृष्ण भगवान' ये वो देश है, ये वो भारतवर्ष है, जिसकी संस्कृति जिसकी सभ्यता और परंपराओं के अन्दर पलकर हम बड़े हुए हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधान सभा के माध्यम से कहना चाहूंगी, ये 6 महिलाएं दिल्ली की संपूर्ण महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है और हम लोगों ने ये कसम खायी है, जिस पार्टी से हम जुड़े हुए है, उस पार्टी का भी ये मुद्दा रहा है कि महिला को सुरक्षा देंगे और पहले नम्बर पर अगर कोई काम करेंगे तो महिलाओं की सुरक्षा का करेंगे। लेकिन ये आपत्तिजनक टिप्पणियां, ये आचरण अपनी भाषा से अपनी लगाम को खत्म करना, ये कतई हमें स्वीकार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम बहुत पीड़त हैं, हम बहुत दुखी हैं। आज हमारी विधायक साथी के साथ में हुआ है, ये उनका अपमान नहीं है, मेरा अपना अपमान है और अध्यक्ष महोदय साथ-साथ में हमारा अपमान नहीं किया, अभी आपने हमें संविधान की शपथ दिलवाई थी, आप स्वयं इसके अध्यक्ष है। आपके लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया। तो मुझे तो ऐसा ही महसूस होता है कि

शायद हमारी साथी, जो हमारे विपक्ष के साथी हैं, शायद उनके संस्कारों में कहीं न कहीं कोई कमी रह गई है। अश्लील भाषा का इस्तेमाल करना स्वयं चार बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं। हम आपसे आकर के मिले। अध्यक्ष महोदय, हमने ये कहा कि ये सब स्वीकार नहीं होगा। एक टीवी चैनल के माध्यम से ओ. पी. शर्मा जी ने महिला विधायक को लेकर के और महिलाओं को लेकर के जिस तरह का आचरण किया और जिस तरह की टिप्पणी की उसके बाद में भी हम महिला विधायक आपसे आकर के मिली थी और आपने हमसे कहा था कि कोई बात नहीं, हम लोग समझायेंगे उनको, वो हमारे सदन का साथी है, एक विपक्ष का साथी है। सदन का एक अंग हैं। आपने हमेशा हमें कहा कि हम समझायेंगे और आपने मुझे लगता है कि समझाया भी होगा लेकिन एक बार और चार बार समझाने के बावजूद, मुझे लगता है कि उनको समझ में नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, ऐसे व्यक्ति को मुझे तो लगता है सदन में रहने का कोई भी हक नहीं है। हम सभी सम्मानित नागरिक है, सम्मानित तरीके से व्यवहार करना जानते हैं। सम्मानित भाषा का इस्तेमाल करना जानते है। लेकिन मैं महिलाओं की तरफ से एक बात कहना चाहूंगी कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, इस तरह के आचरण का इस्तेमाल हम लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं है। आप सम्मानित स्पीकर साहब है, आप अध्यक्ष महोदय हैं। हमारी जो भी निगाह है आज सब आपके ऊपर टिकी हुई है। केवल अगर एक स्पीकर होने के नाते मैं बात न करूं तो आप बच्चियों के पिता भी हैं। हमारी जितनी बड़ी बच्चियां भी आपके परिवार में है। आज हमारे सम्मान के ऊपर आंच आयी है तो मेरा आपसे निवेदन है, इस संपूर्ण सदन से निवेदन है कि कृपा करके आप हमारी इज्जत को बचाइए हम आप ही की बेटियां है। हम भारतवर्ष की बेटियां हैं। शिव तो जाग गए हैं, लेकिन शक्ति का जागना अभी शेष है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन जिस तरह

से हमारी महिलाएं इस सदन की महिलाएं संपूर्ण दिल्ली की महिलाओं के प्रति जवाबदेही को समझती हैं। हम अपनी जिम्मेवारियां तय करते हैं। अध्यक्ष महोदय, एक बार पुनः बहुत विनम्र भाषा में निवेदन है कि ओम प्रकाश जी की सदस्यता को तुरन्त आपके माध्यम से रद्द किया जाए, धन्यवाद।

सुश्री सरिता सिंह : दिल्ली विधानसभा की 6 की 6 महिलाएं...

श्री सोमनाथ भारती : जानकारी मिली है ये सीएनएनआई न्यूज का ब्रेकिंग न्यूज है कि जबकि महिलाओं का बेइज्जती करने वाले ओ. पी. शर्मा खुले फिर रहे है। लेकिन अखिलेश त्रिपाठी जो हमारे विधायक है उनको दो साल पुराने किसी राईटिंग केस में अरेस्ट करके ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। इस तरह के दुर्भावना से प्रेरित होकर जब आपके पास कल श्री दीपक मिश्रा जी आए थे तो उनको समझ में आना चाहिए कि सदन की क्या गरिमा होती है। दो साल पुराना राईटिंग केस में विधायक को पकड़कर के जेल भेज दिया जाना जबकि ओ. पी. शर्मा जी खुले फिर रहे है। ये तो बहुत विरोधाभास है और इसकी रक्षा आपको करनी पड़ेगी। मुझे तो लग रहा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र विधानसभा के अन्दर एक प्रस्ताव पारित किया गया कि जब भी कोई विधायक को अरेस्ट करने के बात हो तो बगैर स्पीकर की परमिशन के नहीं होगा आप अगर सदन अनुमति दे तो मैं आपके पास एक पेश करना चाहता हूं वैसा एक रजल्यूशन लाया जाए हाउस के अन्दर जो पुलिस का एक्ससेसिव मिसयूज ऑफ पावर है उसके अनुसार....

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, अभी जो चल रहा है उस विषय पर एक बार पूरा होने दें प्लीज। हां, सरिता जी।

सुश्री सरिता सिंह : सर, आज यहां पर 6 की 6 महिलाएं जिन्हें यहां

पर सम्मानित दिल्ली की जनता ने चुनकर भेजा था, 24 तारीख का वो काला दिन हम सबको याद है यहां पर किस तरफ से रैन बसेरों को लेकर चर्चा हो रही थी और किस तरह एक पर्टिकुलर महिला सदस्य को टारगेट किया जाता है, उनको नशेड़ी बोला जाता है उनको यह कहा जाता है आप रात में घूमने वाली महिला हैं, आप बाजारू महिला हैं। इन शब्दों का प्रयोग इस सम्मानित विधानसभा के अन्दर होता है और ऑन रिकार्ड है ये और उसके बाद उस पार्टी के सदस्य, उस पार्टी के नेता ये कहते हैं कि हम अपने विधायक के, हम अपने चुने हुए प्रतिनिधि के साथ है। तो आज आपके माध्यम से ये क्लीयर होना चाहिए कि भाजपा नारी के अपमान के साथ है या भाजपा नारी के सम्मान के साथ है और अगर भाजपा नारी के अपमान के साथ है तो इस सदन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम उस देश में है, जहां भारत को मां कहा जाता है। पूरे विश्व में केवल भारत को मां कहा जाता है। जैसाकि बाकी साथियों ने बोला कि हम साल में दो बार नवरात्रे मनाते है गंगा, यमुना, जुमनी ये तहजीब की बात कहते हैं। हमें तो ये लगता है कि हम अपनी मां की गोद में समा जायेंगे तो दुनिया की सारी तकलीफें दूर हो जायेंगी और हम इसी देश में महिलाओं का अपमान बर्दाश्त कर रहे है। हमारी सरकार का एजेंडा था, मेनिफेस्टो में था कि हम महिलाओं की सुरक्षा हर हद तक जाकर करेंगे। सरकार तो अपना काम कर रही है। सरकार सीसीटीवी कैमरा, मार्शल्स, डेप्यूट कर रही है। इस विधान सभा के अन्दर स्पीकर सहाब इसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा और यहां केवल एक मांग है कि ओ. पी. शर्मा जी ने जो काम किया था बार-बार आप ने उन्हें माफ किया। हमने कई बार आपसे आकर बात की कि ये जो चीजें गुण्डी शब्द का प्रयोग बार-बार किया जाना। बार-बार यह कहा जाना कि स्टेचर पर वापिस जाओगी। हमारे एक साथी के खिलाफ आतंकवादी शब्द का यूज करना।

इसका मतलब क्या है? ये विधान सभा एक सम्मानित जगह है। जहां पर दिल्ली की जनता ने हमें कानून बनाने के लिए भेजा है।

अध्यक्ष महोदय : कन्क्लूड करिए। सरिता जी।

सुश्री सरिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए आपको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ओ. पी. शर्मा जी की सदस्यता को रद्द करना पड़ेगा और जब तक वो जेल नहीं जाएंगे, हमारा ये विरोध जारी रहेगा। आपसे अपील है कि इस मामले को आचार समिति को भेजा जाए। और जब तक आचार समिति इसका फैसला नहीं देगी तब तक कम से कम उन्हें सस्पेंड किया जाए। इससे पहले उन्हें विधान सभा में आने का मौका न दिया जाए।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, एक बार ये विषय पूरा होने दीजिए। प्लीज। एक बार ये विषय पूरा हो जाए। एक सैकेंड रुकिए। एक सैकेंड रुकिए।

श्री सोमनाथ भारती : माननीय उप मुख्यमंत्री ने इस मामले को ऐथिक्स कमेटी के पास भेजने के लिए गुजारिश की थी। उस पर आपकी रूलिंग नहीं आई है। उसमें आपकी रूलिंग आ जाए।

(सभी महिला सदस्य सदन के वैल में आईं)

...(व्यवधान)...

श्री सोमनाथ भारती : माननीय अध्यक्ष महोदय, 24 तारीख की शर्मसार करने वाली घटना पर माननीय उपमुख्यमंत्री ने....

अध्यक्ष महोदय : निर्णय ले रहे हैं हम। निर्णय ले रहे हैं। अलकाजी,

मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूं, माननीय कपिल मिश्रा जी। सरिता जी कपिल मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं। हमारे माननीय मंत्री जी कुछ कह रहे हैं। एक बार आप दो मिनट रुकिए। अच्छा दो मिनट सदन में उधर बैठ जाइए एक तरफ। प्लीज दो मिनट शान्ति। वंदना जी प्लीज। राखी जी। अभी एक बार कपिल जी को सुन लीजिए। मंत्री जी कुछ कह रहे हैं।

श्रीमती प्रमिला टोकस : अध्यक्ष महोदय, आप यहां हमारे न्यायाधीश हैं।

अध्यक्ष महोदय : टोकस जी, आप अपनी सीट पर जाइए। बीच में से नहीं। सोमनाथ जी एक बार ये विषय पूरा होने दीजिए। मैं अभी आ रहा हूं। दो मिनट रुकिए। दो मिनट रुकिए अभी।

श्रीमती प्रमिला टोकस : अध्यक्ष, महोदय मुझे भी अपनी बात रखने का मौका दीजिए। आप हमारे न्यायाधीश है यहां पर। अगर आप न्याय नहीं करेंगे तो हमारा कौन न्याय करेगा? हम भारत देश की बात करते हैं। दिल्ली की बात करते हैं। हम अपनी विधान सभा में सुरक्षित नहीं है, जो ये एक मंदिर के समान है। जहां दिल्ली का विधान लिखा जाता है। हम खुद उसमें सुरक्षित महसूस नहीं करते। हम दिल्ली की जनता को क्या संदेश देंगे? अगर आज आपने न्याय नहीं किया? तो जैसे निर्भया का कांड हुआ था, उसके बाद इतने कांड हुए हैं, आज भी अखबारों में आए हुए हैं, अगर तब उसको न्याय मिल गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। अगर आपने भी आज न्याय नहीं किया तो ऐसे ही अन्याय होता रहेगा। हम आपसे ये मांग करते हैं कि ओ.पी.शर्मा को बर्खास्त किया जाए और उनको जेल भेजा जाए। जब तक आप जेल नहीं भेजेंगे तब तक हम अपना विरोध जारी रखेंगे। और बार-बार ऐसे ही महिलाओं पर अत्याचार होता रहेगा। आज पूरी दिल्ली की जनता ये उम्मीद लगाए बैठी

है कि आप हमारे न्यायाधीश है हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे स्पीकर है, अगर आज आपने भी हमारा न्याय नहीं किया तो फिर हमारा कोई न्याय नहीं कर सकता। यही उम्मीद हम आप से लगाए बैठे हैं। दो साल की बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, चार साल की बच्चियों के साथ बलात्कार होता है। दो साल की बच्ची एक फूल जैसी होती है नाजुक। उनको कोई न्याय नहीं मिलता। आज 62 साल की महिला के साथ बलात्कार हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी जब दिल्ली पुलिस हमारा न्याय करती तो हम आपसे ये विधान सभा में 24 तारीख को क्या हुआ है। तो हम आपसे न्याय मांगते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि आप हमें न्याय देंगे और ओ. पी. शर्मा जी को बर्खास्त करेंगे, उनको जेल भेजेंगे। ये हमारी मांग है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(सिवाय श्रीमती बन्दना कुमारी के) सदन की सभी महिला सदस्य वेल में आकर बैठ गईं।

अध्यक्ष महोदय : दो मिनट अलका जी प्लीज। शांत रहें प्लीज। मैं प्रार्थना करूंगा सीट पर बैठे। अलका जी, हमारे मंत्री महोदय श्री कपिल मिश्रा जी से मुझे नोटिस प्राप्त हुआ है। वो अपना विषय रखें।

पर्यटन एवं जल मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति के लिए धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत ही दुःख के साथ और शर्मिंदगी के साथ ऐसा एक नोटिस इस सदन में लेकर आ रहा हूं, अच्छा नहीं लगा रहा है। जब इस सदन में आए थे तो शायद कभी कल्पना नहीं की थी कि इस प्रकार का कोई नोटिस हमें लेकर आना पड़ेगा और जो हमारी महिला साथियों ने जो भावनाएं रखी हैं, देश में जो माहौल है उसके बाद अगर सदन के अन्दर

भी इस प्रकार का कुछ हो जाए और सदन कोई ऐसा निर्णय न ले पाए जो उदाहरण बन जाए समाज के लिए, तो शायद वो भी हम लोगों की कमी रह जाएगी। पूरी दिल्ली और पूरा देश यह देख रहा है कि 24 तारीख को जो इस सदन के अन्दर हुआ, उस पर अब सदन क्या करता है। सदन क्या निर्णय लेता है। बहुत सारी घटनाएं है जो दिमाग में आ रही हैं। मेरी चार साल की एक बेटी भी है और जब आप दुःखी थे सदन के अन्दर और उसके बाद भी घर जाकर भी ऐसा लग रहा था कि जब बच्चे सवाल पूछने लग जाएंगे तो उनको भी हम क्या जवाब देंगे। एक बात और जरूर कहना चाहता हूं कि ऐसा लग रहा है देश में एक गृह युद्ध चल रहा है। एक सिविल वार चल रहा है। आदमी और औरत के बीच में एक लड़ाई चल रही है। इसमें किसी भी तरह से यह हो जाता है कि कोई औरत अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत न कर ले। कोई मुंह खोलने की हिम्मत न कर ले। कोई काम पर न चली जाए। कोई देर शाम वापिस घर आने की हिम्मत न कर ले। जिन शब्दों का प्रयोग किया, उससे कहीं न कहीं ऐसी भावना भी आई कि क्या यह पूरा संगठन ही ऐसा खड़ा हो गया है जो हिम्मत करने वाली, बोलने वाली महिलाओं से डरता है। उनको दबा देना चाहता है, कुचल देना चाहता है। मैं बड़े दुःख के साथ लेकिन यह मानता हूं कि सदन के पास पूरी शक्ति और दृढ़ संकल्प है, और समाज को संदेश देना भी जरूरी है, यह प्रस्ताव रखता हूं कि यह सदन निर्णय करता है दिनांक 24 नवम्बर, 2015 की दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिसमें इस सदन के सदस्य श्री ओम प्रकाश शर्मा ने सदन की एक महिला सदस्य के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी की। उक्त मामले को विचार, जांच तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सदन की आचरण समिति को सौंप दिया जाए। समिति को इस विषय में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का निर्णय करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी तथा यह

समिति आगामी सत्र की प्रथम बैठक से पहले अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। धन्यवाद।

श्री महेन्द्र गोयल : अध्यक्ष महोदय, ये विधान सभा की जो महिला सदस्य हैं, हमारी ये उनकी ही बात नहीं है ये पूरी की पूरी दिल्ली की महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी है जो कामकाजी महिलाएं हैं। यदि हमने आज भी इसको नहीं रोका तो शायद सदन में ही नहीं पूरी दिल्ली के अन्दर बहुत कुछ होने वाला है। मैं इस सीट से उठकर मेरी महिला बहनों के साथ मैं यहीं पर वैल के अन्दर आकर बैठता हूं। मुझसे कुर्सी पर इस हिसाब से नहीं बैठा जाता। मैं इनको समर्थन कर रहा हूं।

श्रीमती बन्दना कुमारी भी वेल में आकर बैठ गईं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं। महेन्द्र जी ऐसे नहीं प्लीज। बैठिए। माननीय सदस्य बैठे अपने स्थान पर। अन्तिम सोमनाथ जी। सोमनाथ जी अपना विचार रखिए आप। बहुत शार्ट में रखिए। मैं अभी कर रहा हूं दो मिनट रुकिए। एक बार सोमनाथ जी। सोमनाथ भारती जी अपना विचार रख रहे हैं, दो मिनट के लिए। दो मिनट के लिए।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। 24 तारीख की जो शर्मसार करने वाली घटना घटी, उससे माननीय उप मुख्यमंत्री ने आपके सामने एक गुजारिश की थी कि इस मामले को ऐथिक्स कमेटी को सौंपा जाए। उस पर आपकी रूलिंग भी नहीं आई। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उस पर रूलिंग आए। साथ में जिस तरह से मेरी विधायक बहनें अपना भाव प्रकट कर रही हैं, इसमें गहरा दुख छिपा है। गहरी पीड़ा छिपी है। और ये पीड़ा और ये दुख पूरी दिल्ली की महिलाओं की पीड़ा का एक तरह से इन्डिकेटिव

है। आज ये सदन आपके माध्यम से पूरी दिल्ली की महिलाओं को ये बताए कि किस तरह से यह सदन महिलाओं के सम्मान के लिए समर्पित है और जब-जब आन पड़ेगी तो किस तरह से ये सदन उनके सम्मान के लिए जो भी हम से हो सकेगा, हम करेंगे। आज आपसे पूरी दिल्ली उम्मीद कर रही है और हम आशा करते हैं कि आपका न्यायपूर्वक जो फैसला आयेगा, वह हम सभी के लिए एक दूरगामी संदेश लेकर आयेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे परमिशन चाहता हूं कि आज जो अरेस्ट हुआ है अखिलेश प्रति त्रिपाठी जी का, यह एक प्रिविलेज का मामला है। क्योंकि सदन भी चल रहा है और जब सदन चल रहा हो....

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, ये विषय अभी चलने दीजिए। मैं बात करता हूं। हालांकि उप मुख्यमंत्री ने 24 तारीख को ये सारा विषय कमेटी को सौंपने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन मन में कहीं न कहीं पीड़ा रहती है। कोई भी सदस्य हो, चाहे सत्ता पक्ष से हो या विपक्ष का हो, कठोर कार्रवाई करने के लिए। उम्मीद थी, आशा थी कि विपक्ष कुछ समझेगा और माननीय उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि ओम प्रकाश जी सदन में आकर माफी मांग लें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि आज जिस ढंग से विजेन्द्र गुप्ता जी ने प्रस्ताव दिया, नोटिस दिया है, उसे पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम पर हमला भी हुआ। हमारे पर हाथ छोड़ा गया, मां बहन की गालियां दी गईं। उसके विषय में भी आज उन्होंने, जो परसों घटना घटी, मुझे बड़ा अफसोस है कि एक भी शब्द विजेन्द्र जी गुप्ता जी ने नहीं कहा। मैं उक्त सूचना को स्वीकार कर रहा हूं तथा माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं कि प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री कपिल मिश्रा (पर्यटन एवं जल मंत्री) : मैंने प्रस्ताव पहले बोल भी दिया है।

अध्यक्ष महोदय : जो प्रस्ताव आपने बोला है, वह सदन पटल पर प्रस्तुत है :

यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें।

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता। प्रस्ताव पारित हुआ।

अर्थात श्री कपिल मिश्रा जी द्वारा लिखित में प्रस्तुत प्रस्ताव जिस पर महेन्द्र जी और सोमनाथजी ने भी बोला है, बहनें स्वयं पीड़ित हैं। यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है और आचरण समिति (ऐथिक्स कमेटी) को सौंपा जाता है। नियम-66-67 के अंतर्गत अब श्री कैलाश गहलौत जी, मैं अपनी सभी सदस्य बहनों से प्रार्थना करूंगा कि वे अपनी-अपनी कुर्सी पर बैठें। एक निर्णय हो गया। अपने आसनों पर बैठें और सदन की कार्यवाही को चलायें। मेरी प्रार्थना है। चीफ ह्विप कृपया मेरी सहायता कीजिए।

उप मुख्यमंत्री (श्री मनीष सिसौदिया) : सर एक मिनट....मेरा सदन की सभी महिला सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि यह सदन कायदे में जनता के हितों पर विचार करने के लिए, इसमें सवाल जवाब करने के लिए और उसमें नीति कानून बनाने के लिए इकट्ठा हुआ है। जो हुआ है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि श्री कपिल मिश्रा के प्रस्ताव पर सदन ने जो मोहर लगाई है, मैं अपनी महिला साथियों से कहूंगा जो हमारी विधानसभा में महिला सदस्य

हैं कि ऐथिक्स कमेटी पर भरोसा रखें और ऐथिक्स कमेटी की रिपोर्ट जब भी आयेगी और उसकी जो भी रिकमण्डेशन होगी, उस पर हम लोग विचार करेंगे। आपके अधिकार क्षेत्र में जो भी होगा, वह करेंगे। परन्तु जैसे हम लोग भी बहुत सारे प्रश्नों के साथ उपस्थित हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं, तमाम साथी....(व्यवधान) इसमें सहयोग करें। यही मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं।

सुश्री राखी बिड़ला : आप सदन चलाइये। हम कोई बाधा नहीं डालेंगे। लेकिन जब तक हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जायेगी, जब तक फैसला नहीं हो जायेगा। तब तक हम सारे साथी यहीं नीचे बैठेंगे।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैंने आपसे बोलने के लिए आग्रह नहीं किया। एक बार माननीय सदस्यों से प्रार्थना करें।

श्री जगदीप सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगा कि आज बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है कि यहां पर आप ही की बात को लेकर ओम प्रकाश जी के मसले को ऐथिक्स कमेटी को सौंपा गया है। ऐथिक्स कमेटी पूरी इसकी जांच करके पूरा यहां पर इन्साफ देगी। जैसे कि आप लोगों ने बात की है। आप लोगों से निवेदन है कि ये मामला ऐथिक्स कमेटी के पास रखा गया है। तब तक आप सदन पर विश्वास रखें, अध्यक्ष महोदय पर विश्वास रखें और आप अपनी सीटों पर पहुंचें ताकि हम आगे भी कार्रवाई कर सकें। जो पूरी दिल्ली की महिलाओं का दुख है, बिल्कुल आपके साथ हैं। सदन के सभी सदस्य आपके साथ हैं। पूरी दिल्ली देख रही है कि आपके साथ जो हुआ, ये बहुत ही दुखद हुआ है। लेकिन आप इस सदन पर सदन के नेता पर और अध्यक्ष महोदय पर विश्वास रखें कि आपको पूरा न्याय मिलेगा। इस बात के लिए अभी उप मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है और....

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष महोदय, आपने ओ.पी. शर्मा जी को आज तक के लिए सदन से बर्खास्त किया है। कल फिर मौका देंगे कि वे इसी कुर्सी पर बैठें और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें? मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि....कल के लिए क्या फैसला किया है, इस पर प्रकाश डालें। क्या कल वे फिर इसी सम्मानित कुर्सी पर बैठकर....

अध्यक्ष महोदय : अलका जी, आप मुझे इस विषय पर अभी मुझे थोड़ा अवसर दीजिए। अभी कैलाश गहलोत जी प्रस्ताव ला रहे हैं।

...(व्यवधान)...

प्रस्ताव (नियम-66-67)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कैलाश गहलोत जी से नियम 66-67 के अंतर्गत श्री ओर प्रकश शर्मा जी के विरुद्ध प्रस्ताव की सूचना मुझे प्राप्त हुई है, मैं उनको सदन में अपना प्रस्ताव पढ़ने की इजाजत देता हूं।

श्री कैलाश गहलोत : अध्यक्ष महोदय, अण्डर रूल 66 और 67 मैं ये मोशन इस हाउस में रख रहा हूं और बड़े दुख के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि एक सदस्य के कारण ये पूरा हाउस, पूरी प्रोसीडिंग्स रुकी हुई है ये पब्लिक टाइम वेस्ट किया जा रहा है। सारे ऑफिसर्स यहां बैठे हुए हैं। उनका टाइम वेस्ट किया जा रहा है और जिस तरह के शब्द और जिस तरह की लैंग्वेज ओम प्रकाश जी ने यूज की है, चाहे वह हमारी बहन अलका लांबा जी के लिए या जितनी महिला विधायक यहां पर हैं, उनके लिए। कभी वे अमानत भाई को वे आतंकवादी कहते हैं। and I think this time he has crossed all boundaries आज हम 'कॉस्टिट्यूशन डे' की बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं 'औरेंज डे' की। और विधान सभा जो एक बेसिट स्ट्रक्चर है, डेमोक्रेसी का, कांस्टिट्यूशन का। उसके जो स्पीकर हैं। उनके बारे में ऐसी डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज करना is

contempt of this honourable House but I think it is breach of privilege of each and every member and I think this liberty should not be given to any member whether he is from ruling party or is from the opposition अगर कल हमारी रूलिंग पार्टी का कोई विधायक ऐसी लैंग्वेज यूज करता है, तो उसके खिलाफ भी ऐसा ही मोशन हण्ड्रेड परसैंट आना चाहिए और आपके सामने, इस पूरी मीडिया के सामने मैं कुछ जो रिपोर्टिंग पढ़ना चाहूंगा ये दिल्ली जागरण ने लिखा है। उधर शर्मा जी ने न्यूज चैनल पर बयान दिया कि विधान सभा अध्यक्ष का मानसिक संतुलन खराब है। its a matter of shame for all of us and I feel insulted and I think every member feel insulted ऐसी लैंग्वेज कोई यूज करेगा स्पीकर के खिलाफ? and I think I had never imagined that if I remember of this August House कि ऐसी लैंग्वेज कोई स्पीकर के खिलाफ यूज करेगा। हिन्दुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया है। ये पूरी हेड लाइन्स में है "BJP's O.P. Sharma targets Alka Lamba and called Speaker Goel mentally unstable' is a matter of shame for all of us, its a matter of shame for this Vidhan Sabha and I think for the entire democratic set up और टाइम सिटी ने रिपोर्ट किया है while justifying his language against Lamba having said that she is रात भर घूमने वाली। someone who roam around the night, Sharma also said the Speaker had lost his मानसिक संतुलन mentral balance....Speaker Sir, this is, I think a very serious issue it's entirely absolutely contemptuous and strict action should be taken against Shri Om Prakash Sharma.

श्री राजेन्द्र पाल गौतम : अध्यक्ष महोदय, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना और प्रैस में भी जाकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बहुत शर्मनाक है।

अध्यक्ष महोदय : उनको अपनी बात रखने दीजिए।

श्री कैलाश गहलोत : Speaker Sir, this is not the first incident I think

Om Prakash Sharma जो वे कह रहे हैं कि मानसिक संतुलन स्पीकर साहब खो चुके हैं, I think there is certain terribly wrong with Om Prakash Sharma कोई भी सैन्सिबल, इन्सान इस तरह की लैंग्वेज पहले हमारी महिला विधायकों के लिए और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये संस्कार और ये आचरण उनको प्राप्त कहां से हो रहे हैं। क्या ये बीजेपी पार्टी का यही संस्कार है? क्या यही कल्चर है। और मुझे नहीं लगता कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी, उन्होंने उनको ऐसा कहने के लिए कहा होगा। और मुझे ये भी सुनने में आता है कि ओम प्रकाश शर्मा जी अरुण जेटली जी के xxx[1] हैं। क्या उन्होंने ऐसा कहा उनको कहने के लिए? ऐसा कण्डक्ट और ये कण्टक्ट उनका डे वन से है। Speaker Sir, this conduct of Mr. Om Prakash sharma is from day one, this kind of language he has used.

अध्यक्ष महोदय : ये xxx शब्द हटा दीजिए। इसको दुरुस्त दकर लीजिए। शिष्य बोल लीजिए।

श्री कैलाश गहलोत : जी, शिष्य हैं। जेटली जी को अपना गुरू मानते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जेटली साहब ने उन्हें ऐसी शिक्षा दी होगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं उक्त सूचना को स्वीकार कर रहा हूं तथा माननीय सदस्य से अनुरोध कर रहा हूं कि वे अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री कैलाश गहलोत : I appeal to this House to agree with the following motion that - "this House condemms the derogatory remarks made against the hon'ble Speaker by Shri Om Prakash Sharma both within the House as well as during his interaction with the media; and this House decides that

(×××[1] चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से हटाया गया।)

Shri Om Prakash Sharma be suspended from the sitting of the House for the entire duration of the ongoing session" और Speaker Sir, I also take your permission I think if I am not wrong then the constitutional position is अगर सैशन चल रहा है। किसी भी विधायक को अरेस्ट करने से पहले आपकी परमिशन की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : वह विषय अलग से आने दीजिए। उसे इसमें डॉयल्यूट मत कीजिए।

श्री कैलाश गहलोत : Sir, I am only bringing this notice because this is also a....

अध्यक्ष महोदय : वह सोमनाथ जी ने लगाया है। देखता हूं उसको।

अध्यक्ष महोदय : हां, राजेन्द्र जी।....एक बार राजेन्द्र जी बोल लें फिर आपको मौका देता हूं। राजेन्द्र जी।

श्री राजेन्द्र पाल गौतम : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बेहद अफसोस और शर्म महसूस हो रही है कि इस सम्मानित सदन के सामने और वो भी आज इस संविधान दिवस के इस पर्व के अवसर पर....मैंने इस सत्र के शुरू होने से पहले सोचा था कि जब 26 तारीख आयेगी तो पूरे सदन की शुरुआत में हम संविधान दिवस मनायेंगे, सभी को बधाई देंगे और संविधान पर चर्चा करेंगे। मैं खुशी के साथ नहीं, लेकिन दुख के साथ आपसे अनुमति चाहूंगा, मैंने नोटिस भी मूव किया था कि आज संविधान दिवस है। आज के दिन पूरे देश और संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया था। आज संविधान पर चर्चा होनी चाहिए कि जो भावना रखते हुए संविधान का निर्माण हुआ, जो संविधान निर्माताओं ने जो भावना हमारे संविधान में की थी, उस पर चर्चा की।

अध्यक्ष महोदय : गौतम जी, आप पहले उस पर बोलिए जो इनका प्रस्ताव है।

श्री राजेन्द्र पाल गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं कैलाश गहलोत जी के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अध्यक्ष महोदय से और पूरे सदन से निवेदन करता हूं....मेरा ये मानना है कि ऐसे किसी भी सदस्य को इस सम्मानित सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि अंदर भी उस तरह की भाषा, बाहर भी उस तरह की भाषा, ये बेहद शर्मनाक है और अगर हम अपने अध्यक्ष की इज्जत नहीं करते, अगर हम अपने संविधान की इज्जत नहीं करते, सदन की इज्जत नहीं करते तो हमें इस सदन का मेम्बर बने रहने का कोई हक नहीं है। मैं कैलाश गहलोत जी के इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसे सदस्य की सदस्यता समाप्त करने का प्रावधान हमारे एक्ट में है, हमारे कानून में है और उनकी सदस्यता भंग करने के लिए, कानून का पालन करते हुए करनी चाहिए, उनको अवसर देते हुए। उनको अवसर दिया जाये लेकिन उनकी सदस्यता को समाप्त किया जाये। चूंकि वे इस काबिल नहीं हैं कि इस सम्मानित सदन का सदस्य रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री जरनैल सिंह जी।

श्री जरनैल सिंह : (रा. गा.) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत दुख का विषय है जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। आपका पद राजनीति से ऊपर है और इस सदन में, जब से सत्र आरम्भ हुआ है, मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका व्यवहार पूर्णतः निष्पक्ष रहा। चाहे हमारे विपक्ष के सिर्फ तीन सदस्य आये हैं, उसके बावजूद विपक्ष की उपस्थिति रहे, विपक्ष अपनी बात कह सके, विपक्ष को पूरा समय दिया जाये। हर मुद्दे पर उनका चिवार लिया जाये, ये आप सुनिश्चित करते रहे हैं। तीन होने के बावजूद भी इस सदन में ये आपको श्रेय जाता है कि विपक्ष की उपस्थिति आपने होने दी। संसदीय

लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की आवश्यकता है। लेकिन उसके बावजूद, आपकी स्वतंत्रता के बावजूद जिस तरह के आपके ऊपर चेयर के ऊपर जिस तरह के सवाल गए हैं, यह बहुत दुख का विषय है और मैं अपनी साथी महिला सदस्यों से कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसी मानसिकता वाले लोग नहीं चाहते हैं कि आप काम काज करें, न ही चाहते हैं कि आप सदन में बैठें। तो मेरा आपसे भी आग्रह है कि आप सदन में बैठें। सदन की कार्यवाही में आप हिस्सा लें, इस काम काज में लें। बेफिटिंग रिप्लाई होगा आप कृपया बैठें और कार्यवाही में ज्यादा हिस्सा लेकर, मेरा मानना है कि ये तय कर लीजिए कि आज संकल्पों पर महिलाएं ही बोलेंगी, तो ये ज्यादा बेफिटिंग रिप्लाई होगा बजाय इसके कि आप नीचे बैठें, आप ऊपर बैठें तो बेहतर होगा।

अध्यक्ष महोदय : मदन लाल जी।

श्री मदन लाल : अध्यक्ष महोदय, 'यत्र नार्या पूज्ययन्ते, रमन्ते तत्र देवता।' यह मूल मंत्र है हमारी संस्कृति का। जब वहां पर अपनी संस्कृति की बात करते हैं तो हमारे यही साथी जो मंच पर यहां विराजमान थे, वे बार-बार ढिंढोरा पीटते थे कि हमसे ज्यादा बड़ा रक्षक नारी का कोई नहीं। वे बार-बार दुहाई देते रहे, परन्तु सदन में जो उनकी आशा थी, वह केवल 24 तारीख को ही गंदी, अश्लील और भद्र नहीं थी, बल्कि उससे पहले भी थी। जब उन्होंने हमारी इन्हीं माननीया सदस्या को गुण्डी कहकर संबोधित किया था। आप उस दिन चुप रहे, कि वह अपनी भाषा को सुधारेंगे। आज 26 नवम्बर, 1949 को जब हमारा संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने पेश किया था, उसका मूल मंत्र था। 'फण्डामैंटल राइट्स' उन फण्डामैंटल राइट्स की बात करते हुए, उसमें जो सबसे बड़ी बात थी, वह कहा था कि :

"no person shall be deprived from his fundamental rights except according to the Procedure established by law.

यहां वह बात करते बार-बार करते इतने उत्तेजित और इतने xxx[1] थे कि वह बार-बार ऐसी भाषा का प्रयोग करते रहे। जो न केवल इस सदस्या के लिए बल्कि इस सदन के लिए....

अध्यक्ष महोदय : यह xxx शब्द कार्यवाही से निकाल दीजिए।

श्री मदन लाल : अध्यक्ष महोदय, उनके साथी जो यहां विपक्ष के लीडर थे, वे भी बार-बार उनको उकसाते रहे, और जब कभी बात आई, चाहे वह आपके आसन से आई हो या डिपुटी सीएम महोदय की तरफ से आई हो, उन्होंने एक बार भी उस पर टिप्पणी करने या माफी मांगने की कोशिश नहीं की। बल्कि वे लगातार अपनी उस बात को बल देते रहे कि उन्होंने शायद जो कहा है, उसे सारे सदन को एस्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये केवल वहां तक सीमित नहीं था। उन्होंने उसके बाद आपकी गरिमामयी जो स्थिति है और जो आपके शब्द थे, आपने सही कहा, सही सुने। उसके बाद उन्होंने जो कहा कि अध्यक्ष महोदय का मानसिक संतुलन खो गया है। ये शब्द केवल आपके लिए नहीं थे। ये पूरे सदन के लिए थे और पूरा सदन अगर इस बात का संज्ञान ले तो आपसे निवेदन करता है कि ऐसे व्यक्ति के आचरण को देखते हुए, यह प्रिविलेज कमेटी को भी भेजा जाना चाहिए क्योंकि मैं समझता हूं कि शायद आज के दिन हम में से कुछ लोग मैं यह भी मानता हूं कि शायद आज के दिन शायद अध्यक्ष महोदय भी उस सदस्य को जेल भेजने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए इस वाकये को नजर रखते हुए और खासकर जो अखबारों में आई है, जो मीडिया के सामने

(×××[1] चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाले गए।)

लोगों ने सुना है, उस बात को ध्यान में रखते हुए और उनके आचरण को देखते हुए उनके केस को आचरण समिति को भी भेजा जाना चाहिए और मैं प्रार्थना करता हूं कि जितने दिन के लिए भी सदन आगे चले, हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण मसले हैं, हमारा इस सदन का काफी समय इन लोगों ने केवल नोक झोंक में जानबूझकर गंवाया है, मैं तो चाहता हूं कि पूरा अगला सदन जब तक भी आगे बढ़े, तब तक इस माननीय सदस्य की जो अब अवमाननीय हो गये हैं, उनकी सदस्यता को बर्खास्त किया जाना चाहिए। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : ये विषय आ गया।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में हैं, वो हां कहें

जो इसके विरोध में हैं, वह ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

यह प्रस्ताव सदन द्वारा सर्वसमति से पारित हुआ। अतः ओमप्रकाश शर्मा को इस पूरे सत्र के लिए निलंबित किया जाता है। अब मैं अपनी माननीय महिला सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कि वे अपने-अपने स्थान पर बैठें।....(व्यवधान)

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष महोदय आपका धन्यवाद करते हुए कि आपने इनकी सदस्यता के बारे में ये प्रस्ताव आचरण समिति को पेश किया है। हम उसका सम्मान करते हैं जिन लोगों ने उनको चुनकर यहां भेजा था एक अच्छी सोच के साथ। ओ पी शर्मा जी ने उनके साथ विश्वासघात किया। मैं मानती हूं और आचरण समिति से उम्मीद भी करती हूं कि आचरण समिति जल्द से जल्द इसके ऊपर एक नतीजे या फैसले पर पहुंचे और इस सदन में इस

पर फैसले को रखे। मैं आपसे फिर यह कहती हूं उसमें हम ऐथिक्स कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करेंगे जो एक दिन की जेल भेजने का फैसला हुआ है। मैं कहूंगी इसे हल्के में नहीं लिया जाये, क्योंकि अध्यक्ष जी, ये पहली बार नहीं हुआ है। ये दूसरी बार हुआ है। सबूत के तौर पर आपने खुद अपने कानों से सुना और कुर्सी से खड़े होकर कहा उसके बावजूद भी अगर आप नहीं भेजेंगे तो बहुत गलत संदेश जायेगा। मैं यहां पर फिर कह रही हूं dangerous crime, but cops soft on it इतने गंभीर अपराधों के बाद भी दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और उसके बाद हमारे ही एक विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को जेल भी भेज दिया जाये दो साल पुराने किसी रॉयटिंग केस में। आज यहां तक सबूतों के बावजूद भी हिम्मत नहीं जुटा पाये। दिल्ली पुलिस अगर कमजोर हो गई है तो यह सदन भी कमजोर दिख रहा है और सबूतों के बाद भी हिम्मत दिखाइये। हिम्मत दिखाइये। सबको कल से अखबारों पर महिलाओं की नजर टिकी हुई है। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक दिन के लिए...(व्यवधान) किस-किस को तिहाड़ जेल भेजा गया। अखिलेश पति त्रिपाठी दो साल पुराना केस, वे जब आप विधान सभा के लिये निकले, सदन की कार्रवाई...(व्यवधान) जन लोकपाल बिल लागू...(व्यवधान) तो उन्हें रास्ते में रोक कर तिहाड़ भेज दिया गया। आप हिम्मत दिखाइये।

अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय : अलका जी...(व्यवधान)

श्रीमती बन्दना कुमारी : अध्यक्ष जी पूरा देश इस सदन को देख रहा है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बंदना जी। सभी माननीय सदस्य एक बार ध्यान दें।

ये हाउस स्वयं इस विषय को आचरण समिति को भेज चुका है। आप ही ने स्वयं इस प्रस्ताव को पारित किया है...(व्यवधान) एक सैकिण्ड एक सैकिण्ड। आचरण समिति का निर्णय आने तक उस पर विश्वास रखें।....(व्यवधान) अलका जी ...(व्यवधान) मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं से व्यक्तिगत तौर पर सहमत हूं ...(व्यवधान) लेकिन एक सैकिण्ड अमानतुल्लाह जी, लेकिन ये विषय बड़े गंभीर होते हैं इन पर बहुत गंभीरता से विचार करना होता है और ये सदन एक निर्णय ले चुका है और आचरण समिति....(व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सामूहिक नारेबाजी)

अध्यक्ष महोदय : मैं पंद्रह मिनट के लिये हाऊस को स्थगित कर रहा हूं। ठीक 3.25 पर हम यहां मिलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(सदन की कार्रवाई 3.25 बजे तक मिटन के लिए स्थगित की गई)

सदन अपराह्न सायं 3.25 पर पुनः समवेत हुआ।

अध्यक्ष महोदय **(श्री राम निवास गोयल)** *पीठासीन हुए।*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण हमारे जो स्टार्ड Questions हैं आज के दिन के वो सब अब समय नहीं बचा, पहला घण्टा पूरा हो चुका है, आतारांकित में उन सबके उत्तर मिल जायेंगे।

...(व्यवधान)...

(सामूहिक नारेबाजी)

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं। जगदीप जी, आप अपनी कुर्सी पर आइये।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं। प्लीज शान्त हो जायें।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : जगदीप जी, सभी को बिठाइये प्लीज। मैं सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं सदन का समय बर्बाद हो रहा है। आज बहुत महत्वपूर्ण बिल है, बहुत महत्वपूर्ण बिल है उस पर चर्चा होनी है।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैं पुनः सभी सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कि कृपया बैठें और सदन की कार्रवाई चलने दें। यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। सरकार की ओर से आया हुआ है।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया शान्त हो जायें। मैं बार-बार अनुरोध कर रहा हूं। अलका जी से मैं प्रार्थना कर रहा हूं। कृपया शान्त हो जायें।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : सदन का बहुत महत्वपूर्ण समय है, कृपया बैठें। यह बिल पारित करना बहुत जरूरी है। मैं फिर से प्रार्थना कर रहा हूं कि यह उचित तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं। महिला सदस्यों को छोड़ कर बाकी सदस्य अपनी सीट पर जायें। मैं प्रार्थना कर रहा हूं। बात को समझिये। मेरे आदेश को मानिये प्लीज।

अध्यक्ष महोदय : जगदीप जी बन्द करवाइये। रोकिये जगदीज जी। इनको वापिस भेजिये।

श्री जगदीप सिंह : सभी विधायकों से मेरा निवेदन है कि वह अपनी-अपनी व्यवस्था बनायें।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : 4 बजे तक सदन स्थगित किया जाता है।

(सदन की कार्यवाही 4.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

सदन अपराह्न 4.00 बजे पुनः समवेत हुआ।

अध्यक्ष महोदय **(श्री रामनिवास गोयल)** *पीठासीन हुए।*

(माननीय सदस्या सुश्री अलका लाम्बा, सुश्री प्रमिला टोकस, सुश्री सरिता सिंह, श्रीमती बंदना कुमारी एवं सुश्री भावना गौड़ वैल में आकर बैठ गईं।)

अध्यक्ष महोदय : जैसा मैंने पहले कहा था स्टार्ड क्वैश्चन सभी अतारांकित में परिवर्तित किए जाते हैं। उनके उत्तर आप सब सदस्यों को मिल जाएंगे। उसी ढंग से विशेष उल्लेख नियम-280 के अंतर्गत माननीय दस सदस्यों को जो आज नियम-280 में उल्लेख करना था, श्री संजीव झा, अनिल कुमार बाजपेयी जी, श्री विजेन्द्र गुप्ता, श्री श्री दत्त शर्मा, श्री अजय दत्त, श्री राजेश ऋषि, श्री अवतार

सिंह कालकाजी, श्री नितिन त्यागी जी, श्री मनोज कुमार जी, श्री शिव चरण गोयल जी, इन दस सदस्यों के आज बैलेटिंग में नियम-280 के थे। इसके लिए मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कि समय आज नहीं रहा है और इनको पढ़ा हुआ माना जाए। यह माना जाए ये पढ़े गए हैं। माननीय सदस्यों ने, सदन पटल पर प्रस्तुत हो गए हैं और संबंधित मंत्रालय को ये मामले भेज दिए जाएंगे ताकि इनके उत्तर समयबद्ध सीमा में सभी माननीय सदस्यों को प्राप्त हो सकें।

(सत्ता पक्ष के द्वारा सामूहिक नारेबाजी)

उप-मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मेरा सभी साथियों से निवेदन है दो मिनट मेरी बात सुन लें। आज सदन में दूसरे दिन लगातार हमारा जो सरकार की तरफ से काम प्रस्तावित थे, वो रुके हुए हैं। मेरा साथियों से अनुरोध है कि क्योंकि ऐथिक्स कमेटी को ये मैटर दिया जा चुका है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी और इस सदन की ओर से भी मैं समझता हूं सब के सब यहां कन्सर्न्ड है इस बात को लेकर जो कुछ हुआ और उसमें जो भी यथा संभव कार्रवाई है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए पर साथ-साथ लोग हमसे अपेक्षा कर रहे हैं कि जिस काम के लिए सदन होता है, वो काम भी इसमें चले तो ऑफ कोर्स किसी की डिग्निटी के खिलाफ कोई एक्शन या कोई हरकत हो या महिलाओं के खिलाफ कोई हरकत हो तो वे भी जरूरी चीजें हैं और उन पर भी चर्चा होनी चाहिए पर दो दिन से मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि राइट टु सर्विस बिल जिसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे और गोपाल जी, हमारे माननीय मंत्री जी इंतजार कर रहे है कि मिनिमम वेजिज मजदूरों के लिए, उस बिल को इन्ट्रोड्यूस करें। जर्नलिस्ट्स वेजिज एक्ट में संशोधन और कई महत्वपूर्ण बिल इंतजार

में हैं तो मेरा उन लोगों के हितों को भी ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्यों से रिक्वेस्ट है कि क्योंकि मामला ऐथिक्स कमेटी को दिया जा चुका है और ऐथिक्स कमेटी जो भी फैसला लेगी, कपिल जी, माननीय मंत्री जी का जो प्रस्ताव था वो हम सब लोगों ने एकमत से स्वीकार किया है और साथ-साथ दूसरा एक्शन आपकी तरफ से आदेश के रूप में पारित हो चुका है कि ओम प्रकाश जी को इस सैशन के लिए सस्पेण्ड किया गया है तो इसके बाद हमें लगता है फिर जनता के प्रति अपने दायित्व को निभाते हुए, अपने कर्त्तव्य को निभाते हुए, बिलों पर चर्चा और बिल प्रस्तुत करने और बाकी हिस्सों का अपना काम भी आगे बढ़ाना चाहिए। ये मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है। फिर बाकी जैसा सदन उचित समझेगा, वैसा करेगा।

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष महोदय, मैं उप-मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार का धन्यवाद करती हूं। हम आपकी बात से सहमत है। हम सभी ये चाहते हैं कि ये जो महत्वपूर्ण बिल है जो मजदूरों से भी जुड़े हुए हैं, बिल्कुल इसी सदन में उस पर चर्चा हो और यह पारित किए जाएं। 2.00 बजे सदन शुरू हुआ है अब 4.00 बज चुके है, दो घंटे कोई काम नहीं हुआ। हम नहीं चाहते कि समय बर्बाद किया जाए। हम आपसे निवेदन करते हैं ये जो ऐथिक्स कमेटी को भेजा गया है, शीतकालीन सत्र अगर पूरा होता है तो दुबारा एक सत्र बुलाया जाए, इस जांच को रैगुलर, रोजाना, टाइम बाउण्ड एक तय समय सीमा में रोज सुनवाई करके किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। हम नहीं चाहते कि दूसरों की तरह तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख और कुछ कार्रवाई ना हो। हम इसी आश्वासन के साथ आपसे यह आश्वासन चाहते हैं कि आप टाइम वाउण्ड समय पर, रोजाना सुनवाई करके किसी नतीजे पर पहुंचेंगे और इस कमेटी की रिपोर्ट जो है, सदन के पटल पर विशेष सत्र बुलाकर, शीतकालीन सत्र, मुझे लगता है एक हफ्ते

का रह गया है, कम से कम तीन महीने का समय मांगा है केजरीवाल जी ने, मैं उम्मीद करती हूं और इसी के साथ हम वचनबद्ध है, जन-लोकपाल कानून, मजदूरों से संबंधित प्रस्ताव हो, हम सबका ये मानना है कि इस शीत कालीन सत्र के बाद ही, शीत कालीन के दौरान ही एक सत्र बुलाए और इसी के साथ हम वचनबद्ध है जन-लोकपाल कानून, मजदूरों से संबंधित प्रस्ताव हो, हम सबका ये मानना है कि इस शीत कालीन सत्र के बाद ही, शीत कालीन के दौरान ही एक सत्र बुलाए और यह इस ऐथिक्स कमेटी की जो भी रिपोर्ट आए उसे सदन के पटल पर रखा जाए। आपसे इसी का आश्वासन लेकर हम अपनी सीट पर जाने को तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : अलका जी, कमेटी का अपना एक प्रोसीजर है उसमें लिखा हुआ है। कमेटी जल्द से जल्द इस निर्णय पर, मैं भी व्यक्तिगत तौर पर ध्यान रखूंगा। आपकी भावनाओं की मैं कद्र करता हूं और आपने माननीय उप-मुख्यमंत्री जी की बात को स्वीकार किया। मेरी प्रार्थना है आप अपने आसन पर बैठें और मैं निश्चित रूप से...(व्यवधान)...

सुश्री अलका लाम्बा : कम से कम तीन महीने और अधिक से अधिक एक साल के अंदर ऐथिक्स कमेटी को अपनी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखनी चाहिए। यही हमारा निवेदन है, कम से कम समय लेते हुए वो कार्रवाई शुरू हो।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : अगला सैशन जो भी होगा उससे पूर्व, उससे पहले ...(व्यवधान)...

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष जी, में चाहूंगी नियमों को देखते हुए ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : वो हम देखते हैं। करते हैं उसको।

सुश्री अलका लाम्बा : नियम के तहत शीतकालीन का विशेष सत्र, इसकी रिपोर्ट जल्दी तैयार करवाई जाए। इसी के साथ हम अपनी सीट पर जाना चाहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, उस पर चर्चा हो, हम सब भी हिस्सा लें और उसे पारित करें।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद। बैठिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। बैठिये। आगे की कार्यवाही आरम्भ हो। इससे पहले मैं विजेन्द्र गुप्ता जी से और जगदीश प्रधान जी से प्रार्थना करता हूं, जहां कहीं भी वे सदन में बाहर हैं, सदन में आ जायें तो उचित रहेगा, अच्छा रहेगा। बाकी समय की सदन की कार्यवाही में भाग लें। सदन की बैठकों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव श्री जगदीप सिंह जी, मुख्य सचेतक से मुझे प्राप्त हुआ है। उनसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि वो प्रस्ताव सदन पटल पर रखें।

श्री जगदीप सिंह : Hon'bele Speaker Sir, with your permission I beg to resolute that the House agrees to have five more sittings that i.e. on 30th November, 2015 to 4th December, 2015 to enable us to transact the usiness being brought before the House. Thank you, Sir.

अध्यक्ष महोदय : मुख्य सचेतक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव आपके सामने आया है। यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहे,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहे,

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

यहां मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूं। कैलाश जी द्वारा जो प्रस्ताव

प्रस्तुत हुआ था, सत्र के लिए ओम प्रकाश जी को बाहर किया गया है, यह सत्र से अर्थ जो है, यह बढ़ा हुआ समय भी उसमें जोड़ दिया जाये।

समिति के प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण। श्री राजेन्द्र पाल गौतम, श्री गिरीश सोनी।

श्री पंकज पुष्कर : अध्यक्ष जी, मैं केवल एक सूचना देना चाहता हूं ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : देखिये, यह सदन अब ठीक ढंग से चलने लगा हैं। एक बार चलने दीजिए। आप मुझसे व्यक्तिगत तौर पर मिल लीजिए प्लीज। देखिये, पहले बहुत समय खराब हो चुका है या तो वो लिखित में आना चाहिए।

श्री पंकज पुष्कर : अध्यक्ष जी, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के बच्चे जो हैं, वो दिल्ली विधान सभा के बाहर पिटे हैं दिल्ली पुलिस के हाथों, मैं केवल सूचना से सदन को अवगत करवाना चाह रहा हूं और क्योंकि इसमें सदन की भागीदारी यह है क्योंकि हमने इस बात पर, आपकी ओर से दीपक मिश्रा जी को बुला कर यह निर्णय हुआ है कि विधानसभा के बाहर कोई प्रदर्शन नहीं होगा। मेरी केवल इतनी प्रार्थना है कि इस पर...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मेरे संज्ञान में आ गया है। वो मेरे संज्ञान में ला दिया गया है, मैं उसके बारे में बात करूंगा।

श्री पंकज पुष्कर : बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं केवल यह प्रार्थना करना चाहता हूं...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैं मिश्रा जी से बात करूंगा। हो गया, पुष्कर जी।

श्री पंकज पुष्कर : अध्यक्ष जी, मैं केवल यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की बात कोई नहीं सुनता है। दिल्ली के रहने वाले बच्चे हैं, मेरा केवल इतना अनुरोध है कि उनकी तकलीफ को सुनने के लिए दिल्ली विधान सभा तैयार है और उनकी बाहर जो पिटाई हुई है, पुलिस के डंडे उनके ऊपर पड़े हैं, छात्राओं के ऊपर पड़े हैं, उसको संज्ञान में लेकर जैसे कि हम अन्य विषयों पर चिंतित हैं, उस पर चिंतित होकर अपना....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पुष्कर जी, विषय आ गया। आपने रख दिया।

श्री पंकज पुष्कर : अध्यक्ष जी, मैं केवल इतनी सूचना से अवगत करवाना चाहता था कि यह प्रार्थना करना चाहता था कि जो दिल्ली विधान सभा के बाहर किसी भी प्रदर्शनकारी छात्रों का नहीं आने का जो हमने एक निर्देश पुलिस कमिश्नर को दिया है, उस पर पुनर्विचार किया जाये। यह मेरी विशेष प्रार्थना है।

श्री राजेन्द्र पाल गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : एक सैकेंड राजेन्द्र जी। मैं आपको बहुत सम्मानित तरीके से कह रहा हूं कि यह विधान सभा है और इस विधान सभा के आस-पास कोई प्रदर्शन अलाउ नहीं किया जायेगा। किसी भी प्रकार का, इस पर कोई निर्णय नहीं, यह कानून में है और निरंतर प्रक्रिया में होता रहा है। चंदगी राम अखाड़ा इसके लिए स्थान तय है, वहीं तक सीमित रहना चाहिए। इस पर पुष्कर जी कोई टिप्पणी नहीं, नहीं, कोई टिप्पणी नहीं।

श्री पंकज पुष्कर : अध्यक्ष जी, यह राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री को विश्वास में लेकर...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : पुष्कर जी, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं।

श्री पंकज पुष्कर : अध्यक्ष जी, मेरी प्रार्थना केवल यह है, यह संवेदनशील मामला है...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : दूसरी आपने बात कही दिल्ली पुलिस की। प्रदर्शन के अलावा संवेदनशील है, मैंने दिल्ली पुलिस को यह कहा है कि पांच व्यक्ति कोई भी प्रदर्शनकारी है, उनके पांच प्रतिनिधि मेरे पास भेजें। संबंधित मंत्री के पास भेजें। पांच प्रतिनिधि डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में मिलने आ सकते हैं। मिलकर के आकर बात करें। लेकिन यह तरीका नहीं है कि सदन को चारों ओर से घेर लें और आकर प्रदर्शन करें। आप बैठ जाइये। इस पर कोई चर्चा नहीं है। पुष्कर जी, आपकी बात पूरी हो गई। ऐसे बात बार-बार बढ़ाने से समय बढ़ेगा।

श्री पंकज पुष्कर : अध्यक्ष जी, मेरी प्रार्थना है, मैं दो वाक्य कहना चाह रहा हूं...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : हो गया सारा, मैंने निर्णय दे दिया ना इस पर। राजेन्द्र पाल गौतम जी, श्री गिरिश सोनी जी।

प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण

श्री राजेन्द्र पाल गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूं।[1]

अध्यक्ष महोदय : समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण श्री सोमनाथ भारती और श्री राजेन्द्र पाल गौतम जी विशेषाधिकार समिति, छठी विधान सभा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली का दूसरा प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करेंगे।[2]

(पुस्तकालय में संदर्भ संख्या 15472 पर उपलब्ध।)

(पुस्तकालय में संदर्भ संख्या 14573 पर उपलब्ध।)

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विशेषाधिकार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। श्री मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप मुख्यमंत्री अपने विभागों से संबंधित विभिन्न अधिसूचनाओं तथा प्रतिवेदना की प्रति सदन पटल पर रखेंगे।

उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची के बिन्दु क्रमांक 6 के उप बिंदु 1 से 12 तक संबंधित अधिसूचनाओं और प्रतिवेदनों की प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूं।[1]

(1) ''दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर (द्वितीय संशोधन) अधिनिमय, 2015 (2015 का दिल्ली अधिनियम संख्या 05)'' के संबंध में जारी अधिसूचना संख्या एफ. 14(6)/एल.ए.-2015/cons2law/117-126 दिनांक 14.07.2015।

(2) ''दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर (द्वितीय संशोधन) अधिनिय, 2015 (2015 का दिल्ली अधिनियम संख्या 05)'' के संबंध में जारी अधिसूचना संख्या एफ. 3(4)/वित्त(राज-1)/2015-16/डी.एस-VI/536 दिनांक 15.07.2015 जिसके तहत् 15 जुलाई, 2015 को उस तिथि के रूप में नियत किया गया है, जिस तिथि को उक्त अधिनियम लागू होगा।

(3) ''दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम संख्या 03)'' सं संलग्न छठी अनुसूची में संशोधन के संबंध में जारी अधिसूचना संख्या एफ.3(10)/वित्त(राज-1)/2015-16/डी.एस-VI/546 दिनांक 15.07.2015 जिसके तहत् क्रमांक 10 प्रविष्टि को दिनांक 16 जुलाई, 2015 से हटाया जाएगा।

(4) ''दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम संख्या 03)'' से संलग्न चतुर्थ अनुसूची में संशोधन के संबंध में जारी अधिसूचना संख्या एफ. 3(10)/वित्त(राज-1)/2015-16/डी.एस-VI/547 दिनांक 15.07.2015

1. क्रम संख्या 1 से 12 पर उल्लिखित दस्तावेज पुस्तकालय में संदर्भ संख्या R**15474** से **15485** पर उपलब्ध।

जिसके तहत् पैट्रेल दों से संबंधित अधिसूचना दिनांक 16 जुलाई, 2015 से प्रभावी होगी।

(5) उक्त अधिनियम से संलग्न तृतीय अनुसूची में संशोधन के संबंध में जारी अधिसूचना संख्या एफ.3(11)/वित्त(राज-1)/2015-16/डी.एस-VI/599 दिनांक 15.07.2015, जिसके तहत् यह अधिनियम दिनांक 01 अगस्त, 2015 से प्रभावी होगा।

(6) ''दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर संशोधन नियम, 2015 के लागू होने की तिथि इसके दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी,'' इसके संबंध में जारी अधिसूचना संख्या एफ. 3(12)/वित्त(राज-1)/2015-16/डी.एस-VI/650 दिनांक 12.08.2015

(7) ''केन्द्रीय बिक्री कर दिल्ली अधिनियम नियम, 2015'' के संबंध में जारी अधिसूचना संख्या एफ. 3(18)/वित्त(राज-1)/2015-16/डी.एस-VI/886 दिनांक 30.10.2015

(8) ''दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम नियम, 2015 के तहत फार्म DVAT16" में संशोधन के संबंध में जारी अधिसूचना संख्या एफ. 3(20)/वित्त(राज-1)/2015-16/डी. एस-VI/906 दिनांक 12.11.2015

(9) ''दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर संशोधन नियम, 2015 के तहत नियम 7 में संशोधन के संबंध में जारी अधिसूचना संख्या एफ. 3(21)/वित्त(राज-1)/2015-16/डी. एस-VI/907 दिनांक 12.11.2015

(10) वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 हेतु दिल्ली वित्तीय निगम का वार्षिक प्रतिवेदन।

(11) वर्ष 2012-13 हेतु दिल्ली वित्तीय निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(12) वर्ष 2013-14 हेतु दिल्ली वित्तीय निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

अध्यक्ष महोदय : अब विधेयक का पुरःस्थापन श्री गोपाल राय जी, माननीय श्रम मंत्री न्यूनतम वेतन (दिल्ली) संशोधन विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 13) को सदन में इंट्रोड्यूस करने की परमिशन मांगेंगे।

श्रम मंत्री (श्री गोपाल राय) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि न्यूनतम वेतन (दिल्ली) संशोधन विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 13) को सदन में पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहे,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहे,

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

अब श्रम मंत्री विधेयक को सदन में इंट्रोड्यूस करेंगे।

विधेयकों का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण

श्रम मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आज एक ऐतिहासिक दिन है। भारत के संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर को अंगीकृत किया था। उस संविधान के निर्माता के रूप में बाबासाहेब डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर को हम लोग याद करते हैं। लेकिन संविधान में प्रदत्त भारत के श्रमिकों के हक के लिए पहले श्रम मंत्री के रूप बाबासाहेब डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर न सिर्फ न्याय के लिए न्याय

मंत्री के रूप में काम किया, कानून मंत्री के रूप में काम किया बल्कि श्रम मंत्री के रूप में काम करते हुए हिंदुस्तान के तमाम श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने संविधान में भी और तमाम कानूनों में भी प्रावधान कराये, जिसको लेकर के आज भी भारत का श्रमिक, भारत का मजदूर अपने हक के लिए लड़ाई लड़ता है। लेकिन एक खास परिस्थिति दिल्ली की बनी हुई है। दिल्ली के अंदर जब आज हम संविधान को याद करते हुए चर्चा कर रहे हैं, तो भारत का संविधान कहता है कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा भारत के हर व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखने के लिए भारत का संविधान काम करेगा। लेकिन आज जिस तरह से दिल्ली के अंदर जो कांट्रेक्ट लेबर है, खास तौर से और जो तमाम मजदूर काम करते हें, वो मजदूरों को आज जिस तरह से एक न्यूनतम मजदूरी पर काम करना पड़ता है, लेकिन वो भी आज दिल्ली के अंदर न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती। आज हम सारे लोग इस सदन में बैठे हैं, इस सदन से भी मैं इस बात की तरफ ध्यान कराना चाहता हूं, आप एक बार चारों तरफ देखो, इस सदन के अंदर जो कुछ भी है, छोटी-छोटी चीजों से लेकर के पूरे इस सदन के बिल्डिंग के आकार को, इसको बनाने वाला मजदूर है। इसको बनाने वाला मजदूर है, पांच सितारा होटल बनाता मजदूर है, बड़ी-बड़ी अट्टालिकाएं बनाता मजदूर है, लेकिन सोने के लिए किराये पर भी मकान लेकर के इस दिल्ली में रहने लायक उसको तनख्वाह नहीं मिल पाती और अगर जो न्यूनतम मजदूरी निर्धारित भी है, आज पूरे दिल्ली का एक सिलसिला बन गया है कि जो न्यूनतम मजदूरी पर मजदूर काम करते हैं। ठेके पर काम

करते हैं। चाहे वो सरकारी संस्थानों में काम कर रहे हों। चाहे वो प्राइवेट संस्थानों में काम करते हैं। उनकी न्यूनतम मजदूरी 9000 रुपये है। ठेकेदार उनसे एटीएम, हमने बनाया कि उनका पैसा एक बैंक में जमा किया जाए लेकिन हमने जो जांच की, हमने जन-सुनवाई की। उसमें एक तथ्य सामने आया है कि जो ठेकेदार है, मजदूरों के एटीएम रख लेता है। उसके खाते में, उनके नाम से 9000 रुपये जमा होते हैं। लेकिन बाद में 4000 रुपये एटीएम से निकाल लिया जाता है और मजूदर को केवल 5000 रुपये मिलते हैं। आज हम चाह करके भी, दिल्ली का पूरा श्रम विभाग उन श्रम मजदूरों के साथ न्याय करने की स्थिति में नहीं है। उसके पीछे जो कारण हैं कि आज जो स्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में जो कानूनों का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई मजबूत कानून हमारे पास नहीं है। इसलिए आज जो दिल्ली की स्थिति बनी है। उन परिस्थितियों में दिल्ली सरकार ने और श्रम विभाग ने फैसला किया है कि दिल्ली में जो मजदूर काम कर रहे हैं, हम इस पर भी विचार कर रहे हैं कि मजदूरों का जो न्यूनतम वेतन है आज 9 हजार रुपये है। 9 हजार रुपये में दिल्ली में कोई भी मजदूर ईमानदारी के साथ, सम्मान के साथ और संविधान की गरिमा के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। अब सरकार इस पर विचार कर रही है। हमने एक कमेटी बनाई है और आगामी दिनों में न्यूनतम मजदूरी एक मजदूर की जिंदगी को चलाने के लिये जितनी जरूरी है, उसके आधार पर कानून बनाकर हम लाना चाहते हैं। लेकिन तब तक जो न्यूनतम मजदूरी मिलती है वो लोगों को मिले, इसके लिए ये संशोधन विधेयक न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के संशोधन के लिए हम आपके सामने रखना चाहते हैं। आज दिल्ली के अंदर तीन तरह का सिस्टम है। एक नियोक्ता है प्रिन्सिपल एम्पलायर है, दूसरा ठेकेदार है और तीसरा श्रमिक है। इन तीनों का चक्रव्यूह ऐसा बना है कि सब कुछ

के बीच में मजदूर पिसता है। इसलिए दिल्ली सरकार ये भी विचार कर रही है कि दिल्ली के अंदर जो कॉट्रैक्ट लेने का सिस्टम है, उसमें भी बदलाव किया जाए। वो भी आगामी दिनों में जल्द हम लेकर के आने वाले हैं कि जो कॉट्रैक्टर है, जो ठेकेदार है, उसको भी नुकसान न हो और मजदूर का हक भी वो मार न सके। उसके बाद भी अगर मारने की कोशिश करता है तो इसके खिलाफ सख्त से सख्त हम कार्रवाई कर सकें, इसके लिए हमने इस अधिनियम में प्रावधान रखा है। जो हम इसमें बदलाव लाना चाहते हैं, पहला ये है कि हमारा जो पहले से बिल है, उसमें तमाम जगह पर उपयुक्त सरकार का जिक्र है। हम जो प्रस्ताव लाना चाहते हैं कि उपयुक्त सरकार की जगह उस जगह पर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार का जिक्र हम उसमें करना चाहते हैं। जिससे कि मजदूरों में भ्रम की स्थिति न रहे। दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार है, वो उनके निर्णय ले और उसके फैसले करे। क्योंकि उपयुक्त सरकार में कई जगह अदालतों के अंदर इस तरह की परिस्थिति पैदा हो जाती है कि उपयुक्त सरकार कौन है इसलिए इस बिल में तमाम जगहों पर जहां-जहां उपयुक्त सरकार का जिक्र है, उन जगहों पर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार इसमें हम प्रस्तावित करते हैं। दूसरा जो प्रस्ताव इसमें लेकर के आपके समक्ष सदन के सामने रखना चाहते हैं। 1948 के अधिनियम 11 की धारा 14 की उपधारा के 2 के बाद नियम शब्द जोड़े जाएं। न्यूनतम मजदूरी वेतन निर्धारण में मूलभूत आवश्यकताओं के साथ अभी तक जब न्यूनतम मजदूरी निर्धारित होती है तो केवल मूलभूत आवश्यकताओं को देखकर के उसका निर्धारण होता है जिसके आधार पर न्यूनतम मजदूरी आज 9 हजार के आसपास। हम चाहते हैं कि मजदूरों के मूलभूत निर्धारण में उनके भोजन, कपड़ा, आवास, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, उनके सामाजिक दायित्व सब कुछ जोड़ा जाए। क्योंकि मजदूर को उसी 9 हजार रुपयों में बच्चों को पढ़ाना

पड़ता है, उसी में अपने घर को चलाना भी पड़ता है और उसी में सारे सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। इसलिए न्यूतनम मजदूरी को निर्धारित करने में इन सारे पहलुओं को जोड़कर के और उसको प्रस्तावित किया जाए। तीसरा, जो इसमें हम अमेंडमेंट लाना चाहते हैं। अधिनियम की 11 की धारा 3(क) की उपधारा (2) के अंतर्गत श्रमिक द्वारा कोई भी शिकायत जब दी जाती है, आज दिल्ली के तमाम विभागों में हो रहा है। जब किसी कॉट्रेक्ट लेबर का शोषण होता है, अन्याय होता है और वो जब दिल्ली के किसी भी लेबर कोर्ट में या किसी भी उच्च-न्यायालय में अपनी अपील लेकर के जाता है, तो कॉट्रेक्टर उसको नौकरी से बाहर कर देता है। इसीलिए सारा शोषण बर्दाश्त करने के बाद मजदूर अपनी आवाज नहीं उठा पाता और ये घटना दिल्ली सचिवालय के अंदर हुई। दिल्ली सचिवालय के अंदर कॉट्रेक्ट मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही थी। मजदूरों ने आकर के माननीय मुख्यमंत्री से शिकायत की और उसके बाद ठेकेदार ने उसको नौकरी से निकालने का आदेश पारित कर दिया। हमें ये प्रस्तावित करना चाहते हैं कि किसी भी श्रमिक के साथ अगर किसी तरह की नाइंसाफी होती है, कोई शोषण होता है और वो जाकर के अदालतों में एप्लीकेशन देता है, तो जब तक उसका मामला पेंडिंग है, जब तक न्याय नहीं हो जाता तब तक कोई ठेकेदार उसे नौकरी से नहीं निकाल सकता है। ये हम प्रस्ताव आपके बीच में लाना चाहते हैं। जिससे वो अपने सम्मान की लड़ाई को निर्भीक तरीके से लड़ सकें और अपने न्याय की गुहार डिस्ट्रिक्ट लेबर कोर्ट में भी और माननीय न्यायालय में जाकर के कर सकें। ये प्रस्ताव हम आपके सामने रखना चाहते हैं। चौथा जो संशोधन इसमें हम आपके बीच में लाना चाहते हैं। धारा 22(क) में अभी तक था कि अगर कोई दोषी पाया गया तो उसको अभी तक 500 रुपये जुर्माना होता था। उसने 5000 रुपये एक ही बार एटीएम खेल खेलकर

मार लिया। अगर वो पकड़ा गया तो कोर्ट के पास अधिकार था कि 500 रुपये का जुर्माना है, तो खेल बहुत अच्छा है। 5000 रुपये महीने ले लो और 500 रुपये कोर्ट में जमा कर दो खेल खत्म। दिल्ली सरकार ने ये फैसला किया है कि इस तरह का जो खेल चल रहा है इसमें हम कठोरता से इसमें निपटेंगे। हमने ये फैसला किया है कि जो सामान्य कानूनी मापदंड है, उसके रिकार्ड मेन्टेन करने का, उसकी सारी सूचना देने का लेबर डिपार्टमेंट को, जो लोग उन नियमों का उल्लंघन करते हैं, जो संविधान प्रदत्त हैं, रूल प्रदत्त है। अगर उसका उल्लंघन करते हैं तो उन लोगों को 500 रुपये की जगह 25000 रुपये का जुर्माना और एक साल की सजा हो। अपराधी जब तक जेल में नहीं जाएगा तब तक उसके दिमाग में इस बात का डर पैदा नहीं होगा कि मजदूरों का हक मारेंगे तो केवल पैसे से काम नहीं चलने वाला है, तिहाड़ जेल जाकर भी भुगतना पड़ेगा। ये अमेंडमेंट हम आपके बीच में लाना चाहते हैं। अगला जो प्रस्ताव लाना चाहते हैं। जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया, उन्हें 25000 रुपये और एक साल की सजा। लेकिन जिन्होंने उनका पैसा खाया है वो पैसा उनकी मेहनत का है। एक इन्सानियत का पैसा जो कि वो किस तरह से कमाते हैं, वो जानते हैं। यहां सदन में बैठे लोगों को हम सब लोगों को, अगर वो जिंदगी जीनी पड़े तो शायद हम लोगों को बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। लेकिन उसमें से हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि उनकी रक्षा करें। जो लोग भी एटीएम से या चैक के द्वारा जो पैसा मिनिमम वेज में जो हकदारी मारते हैं, उनके खिलाफ हमारा प्रस्ताव है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो पहले 500 रुपये और 6 महीने की सजा जो इस कानून के अंदर थी, उसको हम संशोधन करने के लिए आपके बीच में प्रस्ताव रखते हैं कि जो लोग मिनिमम वेज उनका पैसा मारते हैं जो उनकी मेहनत का पैसा

है उन लोगों को 50000 रुपये का जुर्माना और 3 साल तक तिहाड़ जेल में बंद रहना पड़े जिससे कि उनकी मेहनत की कमाई का हक मारने की कोई जुर्रत न कर सके।

अध्यक्ष जी, ये संशोधन आपके माध्यम से सदन पटल पर रखना चाहता हूं। अगला जो हमारा संशोधन है 22(ख) में धारा 11 की 22(ख) में कि 3 महीने के अंदर जो भी मुकदमे अदालत के अंदर आते हैं उसे टाइम बाउंड तरीके से 3 महीने के अंदर चाहे डिस्ट्रिक लेबर कोर्ट हो और चाहे उच्च न्यायालय हो उसको 3 महीने के अंदर टाइम बाउंड तरीके से इसका फैसला सुनाना पड़ेगा जिससे मजदूरों को साल दर साल जो घूमना पड़ता है। जितने की मजदूरी नहीं, उतने चक्कर लगाने में खर्च हो जाता है। तो ये प्रस्ताव हम चाहते हैं कि इस प्रस्ताव को इस बिल में संशोधित किया जाए। इसके अलावा हम चाहते हैं कि जितने निर्धारित मापदंड हैं, उसके अनुरूप जो भी कॉट्रेक्टर मजदूरों को रखता है वो पोर्टर पर या इस तरह के प्लेटफार्म पर उन सबका विवरण रखे जिससे ये पता रहे सबको, नियोक्ता को भी पता रहे। डिपार्टमेंट को भी ये पता रहे कि कितना मजदूरों को रखा है। उसकी अटेन्डेन्स बन सके। उसको ईएसआई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। प्रोविडेंट फंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसको वो चेक कर सके इसलिए सारे विवरण जो इस तरह के काम हैं, को सार्वजनिक किया जाए। इसके साथ-साथ हमने जो प्रस्ताव रखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति कॉट्रेक्ट लेबर को, श्रमिक को अगर ओवरटाइम के लिए रखता है तो जब वो काम के लिए ओवरटाइम रखता है तो उसे प्रति घंटे उसको जो मिल रहा है, उससे दुगना मजदूरी दिया जाए। क्योंकि उसको पैसे की कमी है। अगर उसके पास भी पैसा होता तो ओवरटाइम वो करने नहीं आता। लेकिन

हमारे सिस्टम की वजह से उसे ओवरटाइम करना पड़ता है। सामान्य समयों में वो जो ड्यूटी करता है, जितनी उसको पेमेंट मिलती है। ओवरटाइम में उसका दुगना प्रति ऑवर के हिसाब से उसको पेमेंट की जाए। ये हम सदन के सामने अमेंडमेंट का प्रस्ताव लेकर के आना चाहते हैं।

अध्यक्ष जी, इस प्रस्ताव के साथ-साथ हम दो बातें और सदन में कहना चाहते हैं। इस सदन की जिम्मेदारी दिल्ली के हर मजदूर ने हर गरीब ने हाथ में झाड़ू उठाकर के इस सदन के अंदर हम 67 लोगों को भेजा। इसलिए भेजा था। एकतरफा झाड़ू चलाया। गालियां सुनी। सब कुछ बर्दाश्त किया लेकिन झाड़ू इसलिए चलाया कि जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी उस दिन दिल्ली के अंदर और देश के अंदर हमारे हक पर तलवार कोई नहीं चला सकता। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस सदन को मैं सूचित करना चाहता हूं कि ये जो संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, संसद के शीतकालीन सत्र में केन्द्र सरकार श्रमिक विरोधी तमाम कानून लेकर के आने वाली है। विकास की आड़ में श्रमिकों के हक को मारने के लिए प्रस्ताव आने वाला है। हम सदन के सामने ये भी बात संज्ञान में लाना चाहते हैं कि इसके प्रति भी हमें जागरूक रखने की जरूरत है। न सिर्फ दिल्ली में श्रमिकों के हर हक की रक्षा के लिए हमें खड़ा होना है बल्कि अगर इस देश के अंदर भी केन्द्र सरकार कोई कानून लाकर के उनके हक को अगर मारना चाहती है तो उसके खिलाफ भी हमें मजबूती से अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। क्योंकि एक दुष्चक्र चल रहा है। विकास-विकास-विकास।

केवल पूंजीपतियों का विकास, विकास नहीं होता। विकास का मतलब है कि अगर 30 परसैंट पैसे वालों का विकास हो तो 70 प्रतिशत श्रमिकों का भी विकास

होना चाहिए, उसका भी रास्ता सरकारों को बनाना पड़ेगा। जब तक 70 प्रतिशत श्रमिक विकसित नहीं होगा, हिन्दुस्तान का विकास, सही रास्ते पर नहीं बढ़ेगा। इसलिए सकारात्मक विकास की जरूरत है और जो कानून अभी केंद्र सरकार के द्वारा सदन में आने वाले हैं, संसद के अंदर मैं जरूर चाहता हूं कि हमारे सभी सदस्य उसको गौर से देखें, परखें और जरूरत पड़ने पर इस विधान सभा के माध्यम से हम उनसे निवेदन करें कि आप ऐसा कोई संशोधन न करें जिससे कि दिल्ली के मजदूरों पर उसकी आंच आए। हम उसकी रक्षा के लिए कानून बनाने को तैयार हैं। लेकिन हमें केंद्र सरकार के कानून की छत्र-छाया में जो उन पर प्रभाव पड़ना है, उसको भी हमें बचाने की जरूरत है। मैं अपनी बात कहते हुए एक अपील करना चाहता हूं कि ये जो कानून अभी आया है इसे साथ-साथ दिल्ली सरकार, जैसा मैंने पहले कहा था कांट्रैक्ट सिस्टम को नया चैंज करने जा रही है। उसको भी हम आगामी दिनों में लाएंगे। उसके अलावा भी जो मिनिमम वेज है इसके निर्धारण की प्रक्रिया को ऐसा बनाएंगे कि एक व्यक्ति को सम्मान तरीके से जितनी जीने के लिए न्यूनतम मजदूरी चाहिए, वो उसको मिल सके और मजदूरों को भी ये भरोसा हो कि दिल्ली में हमने अपनी सरकार बनाई और दिल्ली की सरकार ने मजूदरों के हक में आवाज उठाई। हमें उम्मीद है कि हमारे माननीय सदस्य जो यहां बैठे अध्यक्ष महोदय, वो हमारे इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे और विचार करके इस महत्वपूर्ण बिल को पास करने में सहयोग देंगे, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : विधेयक का पुरःस्थापन संख्या-2 का श्री गोपाल राय जी माननीय श्रम मंत्री 'कार्यरत पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध दिल्ली (संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 12)' को सदन में पुरःस्थापित करने की अनुमति मांगेंगे।

श्री गोपाल राय, श्रम मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुमति से 'कार्यरत पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध दिल्ली (संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 12)' को सदन में पुरःस्थापित करने की करने अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है वो हां कहें

जो इसके विरोध में हैं वे ना कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

अब माननीय श्रम मंत्री विधेयक को सदन में इन्ट्रोड्यूस करेंगे।

श्री गोपाल राय, श्रम मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, भारत के अंदर हम सब की आवाज जिसको लोकतंत्र में चौथा खम्भा कहते हैं, पत्रकारिता में जो पत्रकार काम करते हैं, वो हम सब की बात उठा लेते हैं लेकिन दुख इस बात का है कि पूरे हिन्दुस्तान के अंदर उनकी आवाज को, उनके हक को बार-बार दबाया जाता है और इस हिन्दुस्तान में कोई सरकार उनकी आवाज को सुनने वाली नहीं बची। दिल्ली के और देश के अंदर कार्यरत पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारियों के वेतन के भुगतान संबंधित और यथोचित वेतन में उचित दरों संबंधी उपयुक्त उपबंधों के अभाव के कारण कार्यरत पत्रकार और वर्किंग जर्नलिस्ट हैं और अन्य समाचार कर्मचारियों के कुछ मामले

बार-बार उठते रहते हैं। केंद्रीय सरकार ने कार्यरत पत्रकारों एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान हेतु कई बोर्ड का गठन किया जिसकी शृंखला में सबसे अंतिम जो बोर्ड बना जिसको मजीठिया वेतन बोर्ड हम कहते हैं। माननीय न्यायविद श्री जी. आर. मजीठिया की अध्यक्षता में इस बोर्ड का गठन हुआ वेतन बोर्ड ने समाचार पत्र कर्मचारियों के वेतन व देय भत्तों के संबंध में अनेक संस्तुतियां की हैं। मजीठिया वेतन बोर्ड के संस्तुस्तियों के कार्यान्वयन के दौरान वर्तमान अधिनियम की दो प्रमुख त्रुटियां सामने आई हैं। हमने दिल्ली के अंदर सरकार बनने के बाद दिल्ली के तमाम पत्रकार संगठनों ने आकर के हम लोगों के सामने आकर निवेदन किया आम तौर पर हमसे जो नाराज रहते हैं, उन्होंने भी आकर के निवेदन किया कि नाराज रहना हमारी मजबूती है लेकिन हमारे हक के लिए भी हिन्दुस्तान में कोई सरकार खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है आपकी सरकार से हमें भी उम्मीद है कि आप हमारे हक के लिए खड़े होंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने उन सारे प्रश्नों पर विचार किया, माननीय उप मुख्यमंत्री ने उन सारे प्रश्नों पर विचार किया, श्रम विभाग ने उन सारे प्रश्नों पर विचार किया और हम लोगों ने जब सब कुछ देखा, हमने श्रम विभाग की तरफ से इंस्पेक्टर नियुक्त किये। हमने सारी दिल्ली के जितने अखबारों के मालिकान है, जितने इंस्टीट्यूट हैं सबका हमने इंस्पैक्शन किया और सारी जांच पड़ताल के बाद हमें पता चला कि दिल्ली के अंदर आज एक भी ऐसा अखबार नहीं है, एक भी ऐसा पत्रकार संस्थान नहीं है जो मजीठिया वेज बोर्ड है उसको लागू करने की स्थिति में हो, सारे जगहों पर उस वेज बोर्ड की सारी जो संस्तुतियां हैं उनका उल्लंघन हो रहा था, लेकिन हमने जब पता किया कि इस पर कार्रवाई करो तो हमारे श्रम विभाग ने बताया कि अगर हम कार्रवाई करें भी तो कानून में ही ऐसा प्रावधान है, जैसा कि कान्ट्रैक्ट लेबर श्रमिकों के लिए था, उसको हम

लागू भी कर दें तो इन मालिकान पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए आज हम आपके बीच में पहले से जो अधिनियम बने हुए हैं, उसमें संशोधन करने के लिए ये सदन के पटल पर कुछ प्रस्ताव रखना चाहते हैं जिससे कि इन पत्रकार भाइयों को जो अलग-अलग संस्थानों में काम करते हैं, उन लोगों को न्याय मिल सके। हमारे कई सारे मित्र जो इलैक्ट्रोनिक चैनल में काम करते हैं, कैमरामैन हैं, जो छोटे-छोटे काम करते हैं उन लोगों का डेलीगेशन हमारे पास आया कि हमारे लिए भी कुछ करिए। सरकार इस पर जरूर आगे सोचेगी कि क्या हम कर सकते हैं श्रम विभाग सोचेगा लेकिन अभी इस तरह का कोई कानून नहीं है, जो कानून है वो प्रिंट मीडिया के जो एजेंसियां हैं जो अखबार हैं, उनके कर्मचारियों के लिए है और उसमें संशोधन के लिए ये प्रस्ताव है पहला जो प्रस्ताव इस अधिनियम के 17(1)(क) के अंतर्गत उसका हक मारा जाता है किसी तरह के कानून का उल्लंघन होता है तो क्षतिपूर्ति के लिए लेबर कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन देता है लेकिन लेबर कोर्ट के अंदर अभी तक जो उसके लिए प्रावधान है क्षतिपूर्ति के लिए वो बहुत सीमित है, अभी इस प्रस्ताव में हम लेकर के आना चाहते हैं कि प्राधिकारी समाचार पत्र के कर्मचारी को देय वेतन की राशि से पांच गुणा से अधिक राशि उसको दी जाए इस तरह का प्रावधान करना चाहते हैं अभी क्या है कि जिस तरह से उसकी तनख्वाह 10 हजार रुपये है 10 हजार रुपये में मान लीजिए कि अगर उसको 8 हजार रुपये दे रहा है सिग्नेचर 10 हजार पे करा लेता है, या सिग्नेचर भी नहीं कराता दो हजार रुपये मार जाता है, बिल में ये प्रावधान लेकर आ रहे हैं कि उसकी क्षतिपूर्ति के लिए, उस पत्रकार के उस कर्मचारी के हित में, जितना वेतन उसका मारा जा रहा है उससे उसके वेतन से पांच गुणा ज्यादा उसको हर महीने जो भी जितना मारा है, उसका पांच गुणा उसको देना पड़ेगा ये पहला संशोधन हम आपके सामने लाना चाहते

हैं। दूसरा संशोधन जो हम सदन के बीच में लाना चाहते हैं अधिनियम संख्या-45 के धारा 18 में संशोधन करके 1995 का केंद्रीय अधिनियम संख्या-45 की धारा 18 की उप-धारा (ए) में आए शब्द अर्थ दंड जो 200 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, सारा कुछ कर लेगा उसके बाद उसको दो सौ रुपये का जुर्माना होगा। इतने बड़े-बड़े अखबारों के मालिक दो सौ रुपये में क्या होता है, क्यों सुनने लगे वो पत्रकारों की बात को? वो घुड़की देते हैं पत्रकारों को, काम करना है तो कर नहीं तो निकल जा चुपके से। पत्रकार बोल नहीं सकता जिस तरह से पत्रकार हमारे सामने प्रेस कॉफ्रेंस में आवाज उठाने की हिम्मत रखता है, अपने मालिकों के सामने उसको चुपचाप अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ती है क्योंकि अगर वो कुछ बोलता है तो नौकरी से बाहर जाना पड़ता है और इस तरह की घटनाएं हमारे संज्ञान में आई है। दिल्ली के अंदर कई जगहों पर हमने जब इंस्पैक्शन शुरू कराया है तो कई अखबार के मालिकों ने कई पत्रकारों को उनकी नौकरी से वंचित करने का काम किया है। यह सरकार इसको भी संज्ञान में ले रही है। लेकिन जो प्रस्ताव हम आपके सामने हम रखना चाहते हैं ये जो अर्थदंड 200 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, के स्थान पर यदि कोई किसी प्रकार का नियम का उल्लंघन करता है तो 6 महीने कारावास का प्रावधान कर रहे हैं और पांच हजार रुपये उसे उसके लिए देना पड़ेगा। एक शर्त है कि अगर किसी कर्मचारी को देय वेतन के भुगतान न करने की स्थिति में नियोक्ता को किसी भी प्रकार के कारावास दंड का भागी होता है उसमें छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है और अर्थदंड जो 200 रुपये प्रति कर्मचारी तक की दर से बढ़ाया जा रहा है, इसको मैं समझाना चाहता हूं कि जो सामान्य नियम है अगर कोई उसका उल्लंघन कर रहा है और उसके पैसे वो काटता है तो पहले हमने कहा अगर सामान्य रूल का उल्लंघन करता है तो उसे छह माह की सजा और पांच हजार

रुपये जुर्माना देना पड़ेगा लेकिन अगर उसके पैसे को हकदारी को वो मारता है तो हमने ये प्रस्ताव रखा है कि दो सौ रुपये प्रति कर्मचारी प्रतिदिन हर कर्मचारी को रोजाना दो सौ रुपये का जुर्माना उसे देना पड़ेगा। तब तक जब तक उसका हक पूरी तरह से वो अदा नहीं कर देता है। ये प्रस्ताव आपके बीच में है।

दूसरी जो अगली धारा है उसमें हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि धारा 18 की उपधारा (ग) के अन्तर्गत परिवर्तन का कि कोर्ट के फैसले के बाद भी अगर वो दुबारा पुनरावृत्ति करता है, दुबारा अगर पत्रकारों का हक मारता है, दुबारा अगर नियम में जो फैसला है, उसके अनुरूप नहीं करता है और उसमें अगर सामान्य कानून का उल्लंघन कर रहा है तो उसे एक साल तक जेल की सींखचों में जाना पड़ेगा और दस हजार रुपये उसे दण्ड के रूप में भुगतना पड़ेगा लेकिन अगर पैसे में वो कोताही करता है, उसका पैसा नहीं देता है तो उसे 6 माह की जगह एक वर्ष तक जेल के सींखचों में जाना पड़ेगा और उसके एक हजार रुपये प्रति कर्मचारी प्रतिदिन उसे भुगतान करना पड़ेगा। ये प्रस्ताव हम आज इस सदन में लाना चाहते हैं और इस उम्मीद से लाना चाहते हैं कि पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर सब कुछ करने के बाद, आजादी के बाद से पत्रकारों का, पत्रकारिता जगत के कर्मचारियों का हक मारने का जो ये संस्थान कोशिश कर रहे थे, ये प्रस्ताव आने के बाद, क्योंकि उनको पैसे से तो डर नहीं लगता, लेकिन अगर उन्हें एक साल तिहाड़ जेल में बन्द रहना पड़ा तो दस बार उन्हें सोचना पड़ेगा। अब ये संशोधन हम आपके बीच में रखना चाहते हैं जिसमें कि पत्रकारिता जगत में जो कर्मचारी या जो पत्रकार काम करते हैं, उनको भी न्याय मिल सके। उनकी भी उम्मीद सब कुछ के बाद दिल्ली विधान सभा से हैं और आज हम आप सबसे उम्मीद करते हैं कि सब कुछ के बाद उनकी ऑस जो आप पर टिकी है, आप इस संशोधन विधेयक को पारित करेंगे और कम से

कम दिल्ली पत्रकारों में एक आशा की किरण आप पैदा करेंगे जिसका उदाहरण पूरे देश के पत्रकार देकर के अपने-अपने राज्यों में भी अपने हक की और अपने न्याय की लड़ाई लड़ पायेंगे। अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री मनीष सिसौदिया जी, माननीय उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिल्ली (समयबद्ध सेवा प्रदानार्थ नागरिक अधिकार) (संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 11) पर विचार किया जाये।

उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 23 नवम्बर, 2015 को सदन में पुरःस्थापित दिल्ली (समयबद्ध सेवा प्रदानार्थ नागरिक अधिकार) (संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 11) पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : अब यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है वो हां कहें,

जो इसके विरोध में नहीं है वो ना कहें

सदस्यों के हां कहने पर

हां पक्ष जीता। हां पक्ष जीता।

प्रस्ताव पास हुआ।

अब माननीय उप मुख्यमंत्री विधेयक के सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे। श्री संजीव झा जी।

श्री संजीव झा : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, ये बिल कई मायने में ऐतिहासिक है। जब माननीय उप

मुख्यमंत्री इस बिल को टेबल कर रहे थे और बैठे-बैठे मैं सोच रहा था कि जिस भ्रष्टाचार की लड़ाई को माननीय उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जी पिछले 14-15 साल से लड़ रहे थे। 2011 में इस लड़ाई को पूरे देश की लड़ाई बना दिया। आज इस सदन में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बिल पारित कर रहे हैं। इसलिए ये बिल अपने आप में एक ऐतिहासिक बिल है। वो जब इस बिल को टैबल पर रख रहे थे तो वे बखूबी इस बिल की सारी बातों को इस सदन के सामने रखा कि ये बिल कैसे भ्रष्टाचार को रोक सकता है। वैसे तो इस सदन में सिटीजन चार्टर आया लेकिन ये सिटीजन चार्टर कैसे भ्रष्टाचार को रोक सकता है इसके बहुत सारे बिन्दुओं को माननीय उप मुख्यमंत्री ने बखूबी से बताया। ये अपने आप में दर्शाता है कि ये सरकार भ्रष्टाचार को लेकर कितनी सख्त है, इसको रोकने को लेकर कितनी सख्त है और ये तमाम इश्यू वास्तव में वहीं बना सकता है, वहीं बता सकता है जो जमीन पर जनता की लड़ाई लड़ता आया है और जमीन पर जनता को किस तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता है, इसका अनुभव हो। मैं ये मानता हूं कि सिटीजन चार्टर लागू होता है तो ये जनता पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये जनता का अधिकार है और हमारा दायित्व था कि हम जनता से किये गये वादों को पूरा करें। दुर्भाग्य है इस देश का कि जनता जिस सोच के साथ, जिस सपनों के साथ सरकार को चुनती रही, सरकार जनहित के लिए इस तरह के महत्वपूर्ण बिल लेकर सदन में नहीं आ रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता जब सरकार चुनती है तो उनका एक सपना तो होता है, आशा-विश्वास तो रहता ही है कि सरकार हमारे लिए काम करेगी लेकिन कई सरकारें आयीं और गयीं। तो माननीय उपमुख्यमंत्री ने इस बिल के बारे में जो उन्होंने बताया कि अभी भी निचले स्तर का जो भ्रष्टाचार है, वो रुका हुआ नहीं है। अब जैसा लगता है कि अब जो हम सिटीजन चार्टर

सदन पटल पर रख रहे हैं जो उसमें कई सारे बिन्दु कई सारी धाराओं पर बखूबी पड़ रहा है। मुझे लगता है कि वो पिछला न होके कामयाब होगा। वैसे तो संविधान में पुख्ता व्यवस्था की गयी थी कि राज्य की जनता के प्रति क्या जिम्मेदारी है। संविधान के अनुचछेद 36 से 51 में व्यवस्था की गयी थी कि जनता जिस सरकार को चुनती है उस सरकार की, स्टेट की जनता के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस देश की जनता का कि उसको केवल आज हम सब लोग संविधान दिवस मना रहे हैं लेकिन उस 36 से 51 तक जो डाईरेक्टिव प्रिंसिपल थे, नीति निर्देशक तत्व जो थे वो संविधान की किताब में सिमट कर रह गये। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग एक वैकल्पिक व्यवस्था के नारों के साथ आये थे। आज सिटीजन चार्टर के जरिये हम सब लोग व्यवस्था में जनता की भागीदारी दे रहे हैं हम जनता को इस सरकार का हिस्सा बना रहे हैं, पार्टनर बना रहे हैं। हम ये अधिकार दे रहे हैं कि आप अगर दैनिक जीवन में जो किसी सरकारी ऑफिस में जनता को छोटी-छोटी समस्या आती है, अगर समस्या आये तो उसके पास ये अधिकार हो कि उस पर किसी भी अधिकारी या उसके किसी काम में अड़ंगा लगाता है तो उस पर कार्रवाई हो, उसको सजा हो। आखिर ये सिटीजन चार्टर है क्या? मैं ये मानता हूं कि सिटीजन चार्टर जनता और जो सर्विस डिलवरी है, जो पब्लिक सर्वेन्ट हैं, उसके बीच का एक ऐसा अरेन्जमेंट है जिसमें पब्लिक सर्वेन्ट की, सरकार की ये जिम्मेदारी है कि जनता को पब्लिक सर्विस मिले। क्योंकि जनता टैक्स पे करती है। मुझे ऐसा लगता है कि डाईरेक्टली या इन डाईरेक्टली पब्लिक सर्विसेज जनता के दिये गये टैक्स से ही चलता है। ऐसे में जनता का अधिकार होता है कि और सरकार का ये दायित्व बनता है कि जनता को क्वालिटी सर्विसेज मिले। मैं मानता हूं कि ये सिटीजन चार्टर एक वालेन्ट्री हीडेन डाक्यूमेन्ट है जो इन्श्योर करता है कि जनता को बिना किसी डिसक्रीमेशन

के ट्रान्सपरेन्टली क्वालिटी सर्विसेज मिले। मैं सिटीजन चार्टर के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं को देख रहा था। इसका जो सबसे बड़ा डिसीजन है कि हम सब हमेशा विक्टिम रहते थे। ये सिटीजन चार्टर पहले लजाया गया था लेकिन एकाउन्टिबिल्टी फिक्स करने की बात थी। बर्डन ऑफ प्रूफ, जनता को प्रूफ करना पड़ता था कि वास्तव में डिले कितना हुआ और फिर एक अधिकारी से उसके ऊपर के अधिकारी के पास, उसके बाद उसके ऊपर के अधिकारी के पास। ये बर्डन प्रूफ करते ही कितना समय लग जाता था। होता कुछ नहीं था। अब ये ऑनेस्ट ऑफिसर्स पर है और ये जिम्मेदारी है कि अगर डिले होता है, सर्विस डिले होता है तो अपने आप जिस किसी के काम में अड़ंगा आ रहा है, उसको पे किया जायेगा।

उसका भी महत्वपूर्ण बिन्दु था मेरे ख्याल से सेक्शन 9(ए) या 9(बी) है इसमें जानबूझकर छोटी-छोटी ग्राउण्ड पर उसके काम को मना कर दिया जाता था। आपके पास डाक्युमेन्ट्स नहीं है, कुछ आपने गलत भर दिया है इसमें व्यवस्था की गई है कि छोटे-छोटे ग्राउण्ड पे जो रिजेक्शन होता है वो रिजेक्शन न हो और ये पहले से पुख्ता बता दिया जाए कि किस किस काम में क्या-क्या डाक्युमेन्ट्स लगते हैं, क्या-क्या पेपर लगते हैं, ये पहले से उसको दस्तावेज जारी कर दिया जाए और उस ग्राउण्ड पे ये छोटे छोटे रिजन होते हैं इस रिजन पर उसे रिजेक्ट न किया जाए। इससे बड़ी बात थी पहले अपील की गई थी, मेरे ख्याल से उसको भी अब हटाकर 15 दिन कर दिया गया है। इलैक्ट्रोनिकली पूरी व्यवस्था की गई है। ये सारी चीजें अब ई-गवर्नेंस या ई-इलैक्ट्रोनिकली एक्सप्लेन किया जाए और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहा है उसको रिवार्ड किया जाए। अब कोई अधिकारी अपनी ड्यूटी ठीक से निभा रहा है, सही समय पे काम कर रहा है तो ऐसे अधिकारियों को सम्मानित करना चाहिए। पुरस्कार देने जैसी व्यवस्था की गई है। इसलिए कई मायनों में ये लगता

है कि बिल ऐतिहासिक है ये बिल भ्रष्टाचार को रोकने में कामयाब होगा और इस तरह का पुख्ता बिल हमारी सरकार लेकर के आई है इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद इस सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बिल के जरिए जो सदन में माननीय उप मुख्यमंत्री चिन्ता जाहिर कर रहे थे के निचले स्तर पर हम नहीं रोक पाए हैं, उसको हम रोक पाएंगे और जनता ने जिस आशा, जिस सपने और जिस विश्वास को लेकर एक ऐतिहासिक मेंडेट हमें दिया है, हमारी पार्टी को दिया है, हम उनकी आशा पर हम उनके सपनों पर उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री नितिन त्यागी जी।

श्री नितिन त्यागी : Thank you, Mr. Speaker, Sir, for giving me this opportunity to speak on this historic Bill. What I am going to speak right now is not only what I feel. I represent the constituency of Laxami Nagar and I have discussed this Bill with innumerable people and I would just like to put forth the gist of the cost that the people translated it into. Our Constitution makes it very clear that Government is of the people, for the people, by the people but, somehow, this people part of the preamble or the Constitution has never been taken seriously except for the regular five year intervals when people's representatives or possible candidates go to these people and it is for the first time seemingly ever when an electged Government has taken a step forward to ensure timely delivery of services for the people and it is for the first time in the history of India. Whien I was a child and I was very young. I always used to hear loud preferences for Government jobs while I was always under the impression that private sector pays very high but I never used to understand why everybody prefers a Government job. But, then, I grew up and I became a bit more mature and I understood the term 'job security'. No pressure of performance, no targets, hardly any time discipline and above all, nobody to take or give feedback.

But, who suffered? The public suffered. Those who pay taxes to ensure salaries of these Officers who do not perform, they suffered. The way the public has been made to run from pillar to post. To get a death certificate, a widow run into every office to get a death certificate of her dead husband. Parents, to get a birth certificate and so on and so forth, the list goes on and on. These are just starting of the services. For the first time ever, the elected Government in Delhi has taken a serious veiw of this. It has felt the pain, the sufferance of the people, the helplessness of the people. I congratulate our Government, our Deputy Chief Minister for taking the stand. What this Bill is going to do is not only timely delivery of services but most importantly it will bring back the faith that the people have lost in the Government machinery. The fine or the penalty should not be taken negatively. It can be taken negatively by only those who have deliberately mis-used, underused or abused their positions. But those people who work hard, who want to actually serve people, for them, there is nothing to fear. Respected Speaker, Sir, I welcome this Bill and I am sure, it will open a new chapter to bridge the trust deficit that is there between the public and the Public Servant. Thank You.

अध्यक्ष महोदय : श्री राजेश गुप्ता जी।

श्री राजेश गुप्ता : धन्यवाद स्पीकर महोदय आपने इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का जिन्होंने एक ऐसा बिल पेश किया जिससे लोगों को बहुत ही खुशी है। एक थोड़ी सी तकलीफ हमारे जैसे विधायकों को जरूर है कि ये सरकार इतनी जल्दी-जल्दी काम करे जा रही है और होर्डिंग और पोस्टर लगाने में बड़ी दिक्कत होती है। सरकार की अभी थोड़ी देर पहले ही मुझसे कोई पूछ रहा था बाहर मीडिया का साथ उन्होंने पूछा कि जी तीन साल पहले और आज में क्या अंतर है? अब क्या महसूस करते हैं। तो सिर्फ शायद थोड़ा

मंच बदल गया। लेकिन ऐसा लगता है कि हम किसी सपने को जी रहे हैं। जो सपने हमने देखे, जो बात हमने लोकपाल बिल के बारे में की या ये आंदोलन के दौरान रोड के ऊपर बैठकर के वो पारले जी के बिस्कुट खाते हुए जो बातें करते थे, उस सबको हमारी सरकार एक-एक करके ऐसे पूरे करे चले जा रही है। जैसे हमने खुद अपने लिए सिटीजन चार्टर लगाया हुआ हो। हर चीज की समय सीमा शायद अपने लिए हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने हमारे मंत्रियों ने बनायी हुई है। हमें हर चीज एक समय सीमा में पूरी कर देनी है। हम अपने लिए 5 साल का समय लेकर के नहीं आए। क्योंकि अगले साल शायद हमारे लिए और कोई बार सेट कर लिए जायेंगे और हम कहेंगे कि हमने कुछ और करना है। हम अपने बार खुद ऊंचे किए जा रहे हें। स्पीकर महोदय, शायद जो सबसे बड़ा अंतर जो अभी हमारे साथी नितिन ने कहा कि पाइप डोर सरकारी मशीनरी में होता है वो सबसे ज्यादा समय कहां होता है? मेरा मानना है कि प्राईवेट में अगर आप जाए तो हर चीज की एक समय सीमा तय है इफैक्टिव डिलीवरी लेकिन टाइम बाउण्ड डिलीवरी है जो सबसे बड़ा डिफरेंस है। सरकारी का तो एक ढांचा होता है कि सरकारी काम है, अपने समय के हिसाब से होगा और यही चीज है जो सबसे ज्यादा शायद हम लोगों को तंग करती थी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कह दिया जाता था कि साहब 1 बजे बुलाया है तो 2 बजे तो होगा। एक हफ्ते का टाइम दिया है तो 10 दिन में होगा। पहले ही हम अपने आपको मान लेते हैं जो समय हमें दिया गया है, उसमें तो काम हो ही नहीं सकता। इसलिए यह सिटिजन चार्टर बहुत जरूरी था ताकि लोगों में सरकार के प्रति आदर का भाव आए, विश्वास का भाव आए जो लगभग लोग खो चुके हैं। अब लोग सरकारों में यकीन नहीं करते। नेता में कोई यकीन नहीं करते। क्योंकि सिर्फ वादा है सिर्फ बात है, डिलीवरेन्स नहीं होती और इसके साथ में हमने इस डिलीवरेन्स

को पक्का किया है कि आपको इस समय सीमा के अन्दर ये काम होगा। अगर नहीं होता है तो जिस आदमी ने उस समय सीमा में काम नहीं किया है, जिस अधिकारी ने उसको पनिशमैन्ट के तौर पर उसकी सेलरी से कट कर वो आपके खाते के अन्दर पैसे आएंगे जिसके लिए भी आपको धक्के खाने की जरूरत नहीं है। हमने उस समय की कीमत को समझा है। समय की कीमत होनी चाहिए थी। शायद यही फर्क है एक विकासशील देश और विकसित देश में समय सभी जानते हैं कि अगर फ्लाइट पकड़नी है तो उसका एक टाइम सेट है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में वो भी लेट हो जाती है। लेकिन बाहर ऐसा नहीं है। तो आज हम कुछ चीजों को समझते हुए कि समय की क्या कीमत है, सबसे ज्यादा इम्पोरटेंस इस लिए जो रिवार्ड और पनिशमैंट की हमने बात की। पनिशमैंट की बात हर सरकार करती आई है। लेकिन रिवार्ड में शायद किसी का ध्यान नहीं है और जैसा कि हमारे एक साथी ने कहा है कि पनिशमैंट का डर उसे हो जो कहे कि हम काम नहीं करते। जन-लोकपाल का डर उस नेता को हो जो चोरी-चकारी करते हैं। हम तो बहुत खुश हैं। लगाइए जितने मर्जी बहुत अच्छी बात है। रिवार्ड के लिए आज मैं यह सोचता हूं कि जो ये रिवार्ड शब्द इसके अंदर है, बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी में जब आते हैं, जॉब सिक्यूरिटी का सोच करके आते हैं ठीक है, लेकिन ये सोच के भी आते हैं कि हम देश के लिए सरकार के लिए कुछ कर पाएं। लेकिन जब वो माहौल को देखते हैं कि कोई कुछ कर ही नहीं रहा। न कोई पनिशमैंट है न कोई रिवार्ड है। तो आदमी कहता है में किसके लिए करूं? लेकिन मैं बहुत धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी का, जो पनिशमैन्ट के साथ मैं रिवार्ड के ऊपर बहुत जोर दिया गया कि वो आदमी जो समय के अंदर काम करता है उसको इनाम भी दिया जाएगा, चाहे वो प्रमोशन के तौर पर हो, चाहे वो सेलरी में एंक्रीमेंट में नाम पर हो। मैं

सर एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं यदि सम्भव हो मुख्यमंत्री जी से कि ज्यादातर यह होता है कि जब ये हमको दिखाते हैं....समझिए हम आधार कार्ड ही बना रहे हैं, छोटा-सा एग्जाम्पल है। अक्सर ऐसा होता है कि क्योंकि मेरी माता जी की मृत्यु हुई और मैंने इस चीज को महसूस किया कि डेथ सर्टिफिकेट पर नाम गलत छाप कर भेज दिया। तो अगर सम्भव हो सके तो निश्चित समय सीमा में तीन दिन में चार दिन में हफ्ते में जो भी डिपार्टमेंट के हिसाब से जो भी आप तय करेंगे कि प्रूफ दिखा दें। आज कल टैक्नोलोजी का जमाना है, हमारे फोन के ऊपर हमारी मेल के अन्दर एक प्रूफ भेज दें लोगों को कि ये नाम है, ये उसका सेक्स है, ये उसका जैंडर है, ये उसकी ऐज है, उसे चैक कर लें। अक्सर इस चीज के अन्दर बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं और फिर वो समय सीमा बढ़ती चली जाती है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि मैंने एक बुजुर्ग को देखा। एक बार एक रेलवे की लाइन में आज से पांच साल पहले की बात है। जिन्होंने एक टिकट खरीदी, बुजुर्गों की लाईन में ही लगकर लेकिन फिर उनको घूमकर वापिस लगना पड़ा और लोग उनको आगे लगने नहीं दे रहे थे। हालांकि वो बहुत बुजुर्ग थे। उनकी दिक्कत यह थी कि उनको टिकट इश्यू कर दी गई। जिसमें जेंडर साफ दिखाई दे रहा है वो मेल और फिमेल छाप दिया गया। इस तरह की त्रुटियां न हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये प्रूफ हो सके। अगर उप मुख्यमंत्री जी इसे सही समझें अगर यह प्रूफ हो सके दे सके तो इसके तो मैं समझता हूं बहुत अच्छा होगा। मैं एक बार फिर से सरकार को और मुख्य मंत्री, उपमुख्यम मंत्री जी को और अपने सभी मंत्रियों को सभी साथियों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसा एक बिल हमारे समय रहते यहां आया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : अलका लाम्बा जी।

सुश्री अलका लाम्बा : धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने इस प्रस्ताव पर अपनी बात रखने का मौका दिया। अध्यक्ष जी थोड़ा सा आज मेरे लिए कठिन हो रहा है। चाह तो रही थी इस प्रस्ताव पर जिस दिन पहले दिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रस्ताव को रखा था लेकिन बहुत ही सिटीजन चार्टेड जो है, ये महत्वपूर्ण बिल है। मैं बहुत उसके ऊपर बारीकी से मैंने उसके ऊपर स्टेडी किया था और आज हिम्मत जुटा रही हूं कि मानसिक संतुलन ठीक कर उस जगह से अपना ध्यान हटाऊं और पूरा ध्यान मेरा इस प्रस्ताव, इसकी अहमियत और इसके पारित होने के बाद जो आम नागरिक की जिन्दगियों में बदलाव आएगा, मैं उस पर ध्यान रखूं, प्रयास मेरा रहेगा।

अध्यक्ष जी, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं हम सबको 2011 याद होगा। जब हम सबके आदरणीय अन्ना जी, सिटीजन चार्टेड की तय समय सीमा में नागरिकों की श्रेणी और नागरिकों की सेवा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर 13 दिन के अनशन पर बैठे थे। उसकी उपयोगिता की सिटीजन चार्टेड आने से आम नागरिक की जिंदगियों में क्या-क्या बदलाव आएंगे। किस तरह से वो सरकारी दफ्तरों में एक पीड़ित, मैं कहूंगी एक दुःखी इंसान जब किसी का मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने जाता है, तब भी उसको रिश्वत देने के लिए छोटे से काम के लिए एक सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए दफ्तरों के लगातार चक्कर काटने पड़ते थे। जन्म प्रमाण-पत्रों, ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी तरह का सर्टिफिकेट किसी भी तरह का सर्टिफिकेट 300 से अधिक ऐसे सर्टिफिकेट का जिक्र उप मुख्यमंत्री साहब ने अपनी बात करते हुए रखा था। 300 से अधिक थे। दिल्ली में भी सिटिजन चार्टेड आज नहीं आ रहा है। ये चार साल पहले ये आ चुका था। लेकिन चार साल में कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाईयां हुईं। सरकार ने बताया, मनीष जी ने कि कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो इसका ये मतलब माना

जाए कि सभी लोगों के काम तय समय सीमा में बिना उत्पीड़न के होते आए। नहीं, ऐसा भी नहीं था लोग इस तरह से त्रस्त थे कि हमें चक्कर काटने पड़ते हैं। हमें रिश्वत देने पर मजबूर किया जाता है। हमारे काम नहीं होते हैं। 2011 में जब अन्ना जी 15 दिन के 13 दिन के अनशन पर बैठे थे इसी मांग को लेकर उस समय मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। उसने कहा अरे, अन्ना जी, कहां की बात कर रहे हैं आप? आप कुछ नहीं जानते हैं। आपको सिर्फ रामलीला मैदान में बैठना आता है। मध्य प्रदेश सरकार वो है कि 2011 में इन्होंने कहा जो 13 साल पहले ही सिटिजन चार्टेड ला चुकी है। और आज अगर मैं कहूं उसमें 13 में और साल जोड़ दीजिए तो 15-16 साल हो गए मध्य प्रदेश में भी सिटीजन चार्टेड नाम का एक कानून है। लेकिन आप यकीन मानेंगे कि इस कानून की धज्जियां कैसे उड़ी। किसी भी सरकारी दफ्तर में गए तो उनको ये ही नहीं पता था, कि सूचना का अधिकार कानून कहे या सिटीजन चार्टेड कानून है, इन दोनों में फर्क क्या है। उससे जब पूछा गया तख्तियों के नाम पर तख्तियां कहां लगी हुई हैं सूचना कैसे दे रहे हैं, मिट्टी से छांटकर तख्तियां निकाली गई और सूचना के अधिकारी की तख्ती लगा दी गई कि शायद ये ही इससे मिलता-जुलता ही है और आप यकीन नहीं करेंगे, सरकारी अधिकारियों को ही सिटीजन चार्टेड क्या है, उसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो लोगों तक फायदा पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। मुझे मालूम है कि इस प्रावधान में जो बदलाव अबकी दिल्ली सरकार ने किए हैं, उससे पीड़ित आम आदमी को जो अभी तक मजबूर था, अपने हर अधिकार को अपने छोटे कामों के लिए वो मजबूर नहीं, अब मजबूत होकर सामने आएगा। अब उसको मालूम है कि तय समय सीमा पर सबसे बड़ी बात अपनी पारदर्शिता के साथ ई-गवर्नेस के तहत हर एचओडी को यह आदेश देने की बात इसमें कही है कि जैसे सिटीजन

चार्टेड लागू होगा हर एचओडी, विभाग के अधिकारी सारी सूचना कौन-कौन से काम इस विभाग के तहत आते हैं, उन कामों के लिए क्या-क्या कागजातों की जरूरत है, वो काम कब कितनी सीमा में होगा। कौन से अधिकारी की जवाबदेही होगी। नहीं होगा तो कौन से अधिकारी के पास उसकी शिकायत की जा सकती है। आपने यह भी सुनिश्चित किया है, ठीक कहा है। 20 रुपये रोज के अधिकतर 200/- रुपया आज तक वो भी नहीं किसी को चार सालों में मिला। लेकिन आपने प्रावधान किया है कि आप 20/-रुपये, 200 रुपये नहीं ये अधिकारी तय करेगा कि काम कितने दिन विलम्ब हुआ। क्यों विलम्ब हुआ और तय करेगा कि वो सरकारी अधिकारी की तनख्वाह में से वेतन में से उसे ये भुगतान किया जाए। अरविन्द जी ने भी एक बार बताया और ये सच्चाई भी है कि अगर कोई भी सर्टिफिकेट अध्यक्ष जी किसी आम नागरिक को चाहिए उसे दो गजेटेड आफीसर के हस्ताक्षर चाहिए होते हैं वो हमारे विधायक को दफ्तरों के चक्कर काटता है। शायद हो सकता है इससे पहले पहले जो सरकारें, जो विधायक रहें, उन्हें अच्छा लगता था, उन्हें अच्छा लगता था कि वे पांच साल में एक बार उनके दरवाजे पर जाएं। पांच साल वही लोग जिन्होंने आपको चुनकर भेजा आपके दरवाजों पर छोटी-छोटी जरूरतों को लेकर साईन कराने के लिए चक्कर काटते रहें। किसी को विधवा पेंशन के लिए साईन कराने आता है हमसे। कोई हमसे वृद्धा पेंशन विडो पेंशन विकलांग तक मैं देखती हूं इतना ह्रासमेंट था। विकलांग भी अपने परिवार के दो लोग ला रहे हैं। किसी तरह से हमारे दफ्तर तक आता था अपनी विकलांग पेंशन के लिए विधायक जी के साईन चाहिए। उसके बाद दो गेजेटेड ऑफिसर के साईन चाहिए। और उसके बाद वैरिफिकेशन ऑफिसर वैरीफाई करेगा उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं कि उस पीड़ित को न्याय मिलेगा और तय समय सीमा में काम होगा। मुझे इस बात की भी खुशी है कि सरकार

ने इसे बैलेंस भी किया है। क्योंकि ये मंशा नहीं है कि सिर्फ सरकारी अधिकारियों को आप दण्डित करें अगर वो तय समय सीमा पर लोगों का काम नहीं करते। आपने उनको प्रोत्साहित भी करने की इसमें बात कही है। अगर कोई भी सरकारी अधिकारी बहुत ही ईमानदारी से तय समय सीमा में आम नागरिकों को वो सेवा उपलब्ध कराता है जिसका वो हकदार है तो अध्यक्ष जी, मुझे इस बात की खुशी है कि उस सरकारी अधिकारी को सम्मानित करने का प्रावधान में जिक्र किया गया है। मुझे लगता है कि बिल्कुल जो प्रावधान में यह बदलाव किया गया है, जितने भी सरकारी अधिकारी है, जो ईमानदारी के साथ काम करते आये हैं, बिना समय गवांये किसी को परेशान किए, उनको भी ताकत देने का यह काम करेगा और मैं पूरी उम्मीद करती हूं और यह सबसे बड़ी बात मुझे लग रहा है। खुशी अन्ना जी को भी होगी, 13 दिन का उनका अनशन, मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान या किसी विधान सभा में इतना गम्भीर, इतना मजबूत सिटीजन चार्टर नहीं लाया गया, लेकिन अन्ना जी का जो वायदा था, जो रामलीला मैदान में इसका जिक्र किया गया, आज खुशी है कि 2015 में हम इसे और मजबूत करके दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार उसे आज पारित करेगी यहां से। मैं आपसे हाथ जोड़कर यही कहूंगी कि यह सिटिजन चार्टर की सूचना जितनी अधिक से अधिक हो सके, आम नागरिकों तक पहुंचाने का प्रयास सरकार और हर विभाग और हम भी विधायक अपने स्तर पर करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर आम नागरिक को उसका हक और अधिकार मालूम हो। उसे मालूम हो कि मुझे यह सर्टिफिकेट चाहिये तो मुझे यह मिलेगा। अध्यक्ष जी, मैं यह उम्मीद सरकार से करती हूं, बहुत उम्मीद है सिटिजन चार्टर और एक छोटा सा जिक्र और करूंगी जनलोकपाल कानून पर भी मुझे गर्व है कि आपने 4 तारीख

तक इस सदन को बढ़ा दिया है ताकि जो समय बर्बाद हुआ, लोग बहुत चिंतित थे, हम भी कि जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं, उनका क्या होगा। खास कर जनलोकपाल कानून, जिसके ऊपर बाहर बहुत राजनीति लोगों ने की। चार तारीख तक समय बढ़ा गया, उस पर चर्चा होगी और अध्यक्ष जी, कहा गया कि जनलोकपाल बिल कानून को कमजोर कर दिया गया। दो चीजें उसमें से निकाल दी गई है, इसलिए जनलोकपाल कानून कमजोर हो रहा है, जिसमें एक सिटिजन चार्टर को निकाला गया था और दूसरा जो है विजिलेंस को। लेकिन अध्यक्ष जी, बस मैं इतना कहना चाहती हूं कि मुझे इस बात की खुशी है और इस फैसले के साथ सरकार की मैं तारीफ करती हूं अगर सिटिजन चार्टर जनलोकपाल का ही हिस्सा बना रहता है, तो शायद इतना मजबूत होकर यह बिल नहीं हमें आज दिखता, जितना सिटिजन चार्टर को जनलोकपाल से निकालकर एक अलग कानून के तौर पर लाकर उसे और ताकत देकर पेश किया जा रहा है। मैं धन्यवाद करती हूं सरकार के इस कदम का और पूरी उम्मीद करती हूं पूरी पारदर्शिता के साथ आम नागरिक को सिटिजन चार्टर के तहत उनका हक और अधिकार बिना परेशानी के मिलेगा। धन्यवाद, जयहिंद।

अध्यक्ष महोदय : मैं नेता विपक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता जी और जगदीश प्रधान जी मेरी प्रार्थना पर सदन में आये, उनका स्वागत करता हूं। जगदीश प्रधान जी अपना विषय रखेंगे।

श्री जगदीश प्रधान : धन्यवाद अध्यक्ष जी, इस बिल पर जो चर्चा चल रही है, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह जो अधिकारी अपनी जिम्मेवारी से बचते हैं और लोगों को कई-कई महीने तक धक्का खिलाते हैं, चाहे किसी को बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना हो, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना

हो या दूसरे कामों के लिए मैं तो यह समझता हूं कि अफसर की, एच. ओ. डी. जो भी हो, उसकी जिम्मेदारी फिक्स की जाये और बहुत ही कड़े रूप में इसमें सजा का प्रावधान हो, ताकि कोई अधिकारी बच न सके और जो हमारी पब्लिक रात-दिन धक्के खाती है, एक काम के लिए बीस-बीस बार चक्कर लगाने पड़ते हैं तो मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूं और साथ में एक और मैं कहना चाहता हूं इसके साथ, यह जो हम विधायक कोई लैटर किसी भी मिनिस्टर को या किसी एच. ओ. डी. (डिपार्टमेंट) को हम भेजते हैं, अपनी कोई रिक्वेस्ट कि हमारे यहां यह काम होना है, तो मैं प्रार्थना करता हूं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से कि उस लैटर का कम से कम जवाब विधायकों को दिया जाये कि उसके लैटर के बाबत आपके विषय में यह कार्रवाई की गई है। यह काम कब तक होगा तो हमारे मंत्रियों की भी जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए। मैं उसमें यह नहीं कह रहा कि मैं उसको दूसरे रूप में ले रहा हूं ताकि विधायकों को भी यह लगे कि दिल्ली में कोई सरकार है और विधायकों के और जनता के हित का कोई काम कर रही है। धन्यवाद, जयहिंद।

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री राजेश ऋषि जी।

श्री राजेश ऋषि : अध्यक्ष जी, धन्यवाद। आपने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का मौका दिया। मैं आज हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी और अपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद दूंगा कि जो इन्होंने इतने साल से जो संघर्ष करते हुए आ रहे हैं, पहले आर. टी. आई. के लिए हुआ, सरकार आर. टी. आई. लेकर आ गई, फिर सिटिजन चार्टर जिसके लिए आंदोलन किया, सिटिजन चार्टर भी आया, लेकिन वो सिटिजन चार्टर जो आया, वो अधूरा आया। उसके अंदर जो संशोधन की जरूरत थी, वो आज संशोधन

हुए। वो सिटिजन चार्टर ऐसा चार्टर था, जिसके अंतर्गत जो सेवाएं मिल रही थीं लोगों को, बिना पैसे के नहीं मिलती थी। हमारे समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अगर कोई गरीब स्त्री जो विधवा हो जाती है उसको 60 दिन के अंदर एक अंतरिम राशि दी जाती है लेकिन तब क्या होता था, छह-छह महीने तक तो डेथ सर्टिफिकेट ही नहीं बनता था, वो बेचारे उससे महरूम रह जाती थी। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है क्योंकि हमने ऑनलाइन कर दिया है इसको। जो संशोधन किए गए, वो संशोधन वाकई काबिलेतारीफ है। पहले जो विधेयक 2011 में लाया गया था, वो तो एक सफेद हाथी की तरह था। उससे कभी कोई काम ही नहीं हुए लोगों के। लोगों को तंग किया जाता था। दस रुपये रोज के हिसाब से फाइन था। 30 के अंदर 300 रुपये फाइन होता था। ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाने वाला 3000 देकर अपना सर्टिफिकेट बनवा कर लाता था। 300 रुपये से उस अधिकारी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन इस बार जो बदलाव हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, इसमें सबसे पहला तो सेवा अधिकार। एक तो सेवा अधिकार के नाम से इस बिल को इन्होंने बदल दिया बिल्कुल। जो अधिकार के रूप में आज सब के सामने आया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह हुई है कि पहले जो दंड लेना होता था जो अधिकारी काम नहीं कर रहा, उसी से पैसे मिलते थे, उसने कभी किसी को पैसे दिये नहीं, बल्कि वो तो रिश्वत के तौर पर लेते रहे। इस बार एक सक्षम अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जो अधिकारी काम नहीं करेंगे समय पर, जो भी दण्ड बनेगा वो सक्षम अधिकारी के माध्यम से ही मिलेगा। सक्षम अधिकारी की ड्यूटी होगी कि वो नागरिक जिसका काम समय पर नहीं हुआ है, उसको वो दिलवाने का कष्ट करेंगे और वो दिलवाएंगे। हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा ई-गवर्नेंस पर जोर दिया है क्योंकि ई-गवर्नेंस के माध्यम से जितने भी आज विकसित देश है, उनके यहां

भी भ्रष्टाचार था। ई-गवर्नेंस के माध्यम से वहां भ्रष्टाचार पहले से बहुत कम लगभग खत्म ही हो गया वहां पर। अब हम लोगों ने भी ई-गवर्नेंस पर जोर दिया है, तो ई-गवर्नेंस के माध्यम से हमारे हर विभाग के अंदर जो काम शुरू हो रहे हैं, इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। इस पर हमारी सरकार ने और हमारे इस विधेयक के अंदर जोर दिया गया। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो सक्षम अधिकारी बनाये गये, उसकी भी ड्यूटी हमारे मंत्री जी ने रखी है, ताकि वो सक्षम अधिकारी भी अगर समय पर जो नागरिक है, जिसका काम लेट हुआ वो जो दंड उसको मिलना है वो नहीं दिलवाने के सक्षम हो पाता है तो उसके ऊपर बैठे अधिकारी उस सक्षम अधिकारी से भी पैसे वसूल कर यानी उसको डबल दण्ड की राशि दी जाएगी, अगर वो काम नहीं करता है तो। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कई लोगों को जो फार्म्स हैं, वो किसी कारणवश रिजेक्ट कर दिए जाते थे। इसमें यह एक भी प्रावधान किया गया है कि निर्धारित फारमेट को भर कर वो सक्षम अधिकारी को, जो नागरिक है, भर कर देगा। अगर उसमें पाया जायेगा कि इसमें अधिकारी की गलती है, तो उस पर भी उसको दण्ड अधिकारी को देना पड़ेगा और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो प्रोत्साहन राशि वाला है। प्रोत्साहन राशि मिलने से जो भी अधिकारी है, उनमें आपस में भी एक कंपटीशन बढ़ेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूं, ताकि मुझे प्रोत्साहन राशि मिले और पुरस्कार मिले। इससे क्या है कि कंपटीशन बढ़ने से नागरिकों के काम जल्दी से जल्दी होंगे और जो यह विधेयक के अंदर जो संशोधन किए गए हैं यह वाकई आगे जाकर मील का पत्थर साबित होंगे और भ्रष्टाचार पर लगाम लगायेंगे।

मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इसमें एक तरफ तो निकम्मे अधिकारी जिनसे दण्ड वसूला जायेगा और एक काबिल अधिकारियों को पुरस्कार मिलेगा। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मैं आप सब लोगों से भी कहता हूं

कि इसका समर्थन करें और इसको पास करायें। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री अवतार सिंह जी, पंजाबी विच अपनी चर्चा रखेंगे।

श्री अवतार सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, हमारी पार्टी आंदोलन से निकली हुई है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री सभी जनता की परेशानियों से वाकिफ हैं। हमारे देश में जनता सरकारी अधिकारियों के व्यवहार से परेशान रहती है। सरकारी अधिकारियों की कोशिश होती है कि कोई न कोई कानूनी दांवपेंच लगाकर जनता को बराबर परेशान करते रहें। यही कारण है कि हमने अपने आंदोलन के वक्त अपने चुनावी मेनीफेस्टो में कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे तो ऐसा बिल लाएंगे जिससे जनता को तय किये गये टाइम पर सरकारी अधिकारी उसका काम पूरा करेंगे। जनता ने हम पर विश्वास किया और हम कुल 70 विधायकों की विधानसभा में 67 विधायक चुनकर आये। दिल्ली में हमारी सरकार है। हमने जनता से जो वायदे किये थे, उसे पूरा करेंगे। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार अपना प्रावधान ला रही है। इस समय सीमा के अंदर दिल्ली सरकार के सभी डिपार्टमेंट से सर्विस मिले। तय सीमा में काम न करने वाले अधिकारियों की सेलरी से पैसे काटे जाएंगे और काटे गये पैसे संबंधित जनता को मिलेंगे। मौजूदा अधिनियम में दिल्ली में अधिकारियों द्वारा पहले सर्विस डिले करने के लिए जुर्माने का प्रावधान था लेकिन पिछले तीन सालों में एक भी अधिकारी पर जुर्माना नहीं हुआ। अब डेली बेसिस के हिसाब से फाइन का प्रावधान किया जा रहा है और यह पैसा संबंधित अधिकारियों की सेलरी से काटा जाएगा। पब्लिक को सर्विस पाने का पूरा हक है। सिटीजन चाटर्ड हर साल अपडेट होगा। क्योंकि ऐसा न करने से जनता की परेशानियां पूरी तरह से दूर नहीं होंगी। दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी पर पूरा भरोसा था कि

चुनाव के दौर में वादा कर रही है और उसे पूरा करेगी। हम अधिकारियों को इस स्तर पर नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं। हम तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी का अहसास कराना चाहते हैं। सारी हकीकतों को देखकर The Code of Criminal Procedure, (Delhi Amdnement) Bill, 2015 को पेश किया जा रहा है जिसमें मजिस्ट्रेट जांच का दायरा बढ़ेगा। अब बिल में अमेंडमेंट के जरिए सरकार एसडीएम और डीएम को ज्यादा अधिकार देना चाहती है जिससे जनता को सहूलियत मिले।

अध्यक्ष जी, यह कहकर में अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं और मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं अपने डिप्टी सीएम साहब को और हमारी सरकार को क्योंकि जहां हमारा विषय ठीक होगा वहां हमारे जो अधिकारी हैं, उनके बच्चों का भविष्य भी ठीक होगा। क्योंकि उनकी कमाई हक की होगी और अपना हक से मेहनत करके खाएंगे तो हमारा देश भी प्रगति करेगा और ये दिल्ली के लिए खुशी की बात है क्योंकि दिल्ली कैपिटल है और पूरे देश में यहां से यह मैसेज जाने वाला है। जैसे पीछे एक सरकार ने अपना जुर्माना नहीं लगाया, जहां पर ये कानून बना हुआ है, वहां जुर्माना नहीं लगाया। पर हमारी सरकार इस पर पूरी तरह डटकर काम करेगी और हमें विश्वास है कि दिल्ली से यहां से पूरे देश में जो भविष्य ठीक होने जा रहा है इसकी मैं शुभकामनाएं देता हूं, अपनी सरकार को। जय हिन्द। जय भारत।

अध्यक्ष महोदय : श्री जरनैल सिंह जी।

श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आंदोलन से निकल हुई ये पार्टी और हमने ये वादा किया था कि हम लोग सिर्फ सरकार बनाने नहीं आ रहे हैं। हम लोग रास्ता बदलने के लिए आ रहे हैं। ये बिल

उस व्यवस्था को बदलने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। जन-लोकपाल भी आने वाला है। गोपालराय जी ने भी अपना लेबर के ऊपर भी एक महत्वपूर्ण बिल दिया। मुझे लगता है कि हम एक ऐसा मॉडल सैट कर जाएंगे कि आने वाले वक्त में हर राज्य से यह आवाज उठा करेगी कि इस तरह के बिल हमारी विधानसभा में क्यों पास नहीं होते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जहां तक लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र विकास कर रहा है और वो जो कलेक्टिव बिल की अवधारणा पन्द्रहवीं शताब्दी में सोची गई थी जिसने आगे जाकर लोकतंत्र का रूप लिया मुझे लगता है कि इस बिल के जरिए और आगे बढ़ती जा रही है। जिम्मेदारी तय कर रही है। सिटीजन चार्टर की अवधारणा 1991 में यूके में जॉन मेजर जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंन ली थी। 1998 में टोनी ब्लेयर ने इसे आगे बढ़ाया। आस्ट्रेलिया में 1997 में। बेल्जियम में 1992 में। कनाडा में 1995 में। फ्रांस में 1992 में। जमैका, मलेशिया, पुर्तगाल, स्पेन सबमें ये सिटीजन चार्टर की भावना आगे बढ़ती गई और उन लोगों ने इसको अपनाना शुरू किया। 1997 में हिन्दुस्तान ने भी सिटीजन चार्टर की बात करनी शुरू कर दी थी लेकन सही मायने में सिटीजन की जो बात हुई पहले पंजाब एंड सिंध बैंक को भी कहा, आप भी करो। फिर कहा जो पंजाब नेशनल बैंक के तीन बैंक करके देखें, फिर क्या होगा। सिर्फ सरकार की बात नहीं। लेकिन ये अब सरकार के अंदर जो ये अधिकारी काम करते हैं वो सिटीजन चार्टर के अंतर्गत आ रहे हैं और उनकी जिम्मेदारी तय हो रही है। ये जो सर्विस प्रोवाइडर है और जो यूजर है उसके बीच में एक कन्फिडेन्स खड़ा करने की बात है। जो कन्फिडेन्स नहीं था वो किसी की जवाबदेही नहीं थी। नौकरशाही, रेड-लेपिज्म। अगर लाईसेंस बनाना है और 6 दिन में बनना चाहिए लेकिन वो नहीं बन रहा है तो वो करप्शन का अड्डा था। यह करप्शन का जो गढ़ है। जो भ्रष्टाचार के गढ़े हैं, जो कारण

हैं, उसके ऊपर हमारी सरकार प्रहार कर रही है। ये सच्चाई है और मैं मनीष जी को सबसे बड़ी बधाई देना चाहता हूं। इसमें जो क्लाज 2(एफ) आपने लगाया है। पहले जो हमारा 2011 में बिल था वो कहता था कि गवर्नमैंट मीन्स गवर्नमेंट जो उपराज्यपाल है। सरकार का मतलब है उपराज्यपाल लेकिन इस क्लाज 2(एफ) में कर दिया कि Government means the Government of National Capital Territory of Delhi. सरकार का मतलब है जो एनसीटी ऑफ दिल्ली है वो सरकार है। 2011 में बिल में था कि सरकार का मतलब है एल.जी. और उसका सहयोग। बिल में है सर। ये मेरे पास कॉपी है और आपने क्लाज 2(एफ) भी जोड़ी है और क्लजा 2(एफ) में भी आपने कहा है कि "The expression 'Government' means 'the Lt. Govenor' पहले ये था "Governor of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under Article 239AA of the Constitution" पहले ये था लेकिन हमने इसको "National Capitao Territory of Delhi" कर दी है। यही नहीं Lt. Governor क्या है ये भी हमने बता दिया in Section 2(f), a new clause नई क्लॉज है "the expression 'Lt. Governor' means the administrator, not Government. Administrator appointed under Article 239 by the President and designated as such under Article 239AA of the Constitution. इस बिल के अंदर एल.जी. साहब को भी उनकी जगह बता दी गई है। ये बहुत बढ़िया बात की है आपने। इसके अलावा बिल के अंदर जो Head of the Departments हैं जिम्मेदारी उनकी तय कर दी गई है कि ये आपका काम है और जिस दिन नोटिफिकेशन हो जाएगा बिल पास होने के और जो लोकल बॉडीज हैं और जो सरकारी हैं 30 दिन के अंदर आपको इसको लागू करना पड़ेगा। लागू करना पड़ेगा और आप पहले बताते नहीं थे कि सिटीजन चार्टर में क्या-क्या लोगों के लिए है। कितने समय में काम करना है। कौन-सा काम कितने दिन में होगा ये जिम्मेदारी

भी दी गई है और इसकी विज्ञापनबाजी भी की जाएगी। इसको लोगों में पब्लिसाइज किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, तो पैसे की, क्योंकि बहुत कुछ मनीष जी पहले ही विस्तार से बता चुके हैं 30 दिन के अंदर पैसे देने होंगे। सिर्फ 200 रुपये की लिमिट नहीं रहेगी। अगर किसी की रॉगफुल रिजेक्शन होता है। अगर वो रॉगफुल रिजेक्शन करके उसकी जो एलीकेशन है उसको वापस भेज दिया जाता है तो उसकी भी समीक्षा होगी और जो अधिकारी इसके लिए दोषी होगा उसको दंडित किया जाएगा। ये जवाबदेह बनाया जा रहा है नौकरशाही को और जो राइट टु इन्फार्मेशन था। राइट टु इन्फार्मेशन में सिर्फ सूचना मिलती थी। सूचना के अधिकार ने एक दबाव खड़ा किया लेकिन ये उससे एक कदम आगे जाता है कि सूचना भी आप दोगे और अगर आपकी गलती है तो आपको दंडित भी किया जाएगा। तो ये सूचना के अधिकार से एक कदम आगे ये बिल जा रहा है। जिसमें ये बात आ गई है कि 30 दिन में पेमेंट होगी और रोज के रोज एक आफिसर, रोज के रोज देखेगा इसको। एक कम्पीटैण्ट ऑफिसर कि कौन-कौन सी आई है। किसकी एप्लीकेशन आई है। किसकी लेट हो गई। किसका क्या है। अगर पैसे देन हैं। अगर मेरा काम है। मान लीजिए, सही बात है अगर मुझे 200 रुपये लेने के लिए मैं 2000 रुपये खर्च नहीं करूंगा मैं दोबारा आफिसर के पास नहीं जाऊंगा। ये ड्यूटी उस आफिसर की, हेड ऑफ दि डिपार्टमैंट की है कि अगर मेरे काम में देरी हुई है तो आप पैसे अपने आप से मेरे खाते में पहुंचाएंगे ये एक बहुत बड़ी बात है। ये जिम्मेदारी तय की गई है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। बहुत लोग इस बारे में बोल चुके हैं। आखिरी में वही बात है कि सरकार कोई प्रशासन को, नौकरशाही को दंडित नहीं करना चाहती। ये उसको जवाबदेह बनाना चाहती है। ताकि ये जिनके पैसे से। जिनके टैक्सेज से इनकी तनख्वाएं आ रही हैं, ये उनके प्रति जवाबदेह बन जाएं और अगर

ये अच्छा काम करेंगे तो रिवार्ड की भी व्यवस्था की है। ये एक ऐतिहासिक बिल है। राइट टु इन्फार्मेशन के बाद ये आपको राइट टु सर्विस दिलाता है और मैं फिर कह देता हूं कि इससे पहले जो भी एक नाटक किया जाता था, बुरा मत मानना, वो दंड विहीन था। ये ट्थलेस थे लेकिन ये सिटीजन चार्टर जो है ये दंत वाला है। ये नाखून वाला है। अगर आप नहीं करोगे तो आपको दंडित भी करेगा। इतना कहते हुए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। श्री विजेन्द्र गुप्ता जी, नेता प्रतिपक्ष।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, अभी तक जितने भी बिल पेश किये गये हैं उनमें से ये एकमात्र बिल ऐसा है, जिस पर 55(1ए) लागू नहीं होता और पहले दिन भी हमने यही कहा था कि 55(1ए) लागू नहीं होता और पहले दिन भी हमने यही कहा था कि 55(1ए) का अर्थ है कि आप असेम्बली में बिना किसी पूर्व कार्यवाही के, बिना किसी पूर्व अनुमति के सीधे आप ला सकते हैं ये सिटीजन चार्टर, उनमें से एक बिल है। इसलिए वो जो विरोध पहले हमने बाकी बिलों में दर्ज किया है और आगे कराएंगे वो इस वाले बिल पर वो वाला विरोध नहीं है।

...(व्यवधान)...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : दूसरा, एक मिनट। आप अपनी बात अपने समय में कहना। दूसरा ये बात मैंने स्पेसिफिकली मैंने इसलिए कही है कि ये अकेला बिल ऐसा है जिसमें किसी धारा का उस प्राकर का उल्लंघन नहीं है बाकी तो सब बिलों पर जो भी आज होगा या नहीं होगा, यह तो समय बताएगा। इस

बिल के अंदर। हमारा पहला तो ये कहना है कि सरकार में पिछले 10 महीने में जो वर्तमान कानून था उसके आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन 10 महीने के बाद एक अमैडमेंट के साथ आप ये कहे कि पहला बिल बेकार था तो शायद सरकार की अपनी कमियों को छुपाने का एक तरीका है क्योंकि मुझे लगता है कि इस बिल के अंदर सरकार उससे भी ज्यादा बुरी स्थिति स्थापित करने जा रही है।

सैक्शन-7 में जिसकी चिंता पर मुख्यमंत्री जी ने भी प्रकट की थी कि 10 रुपये प्रतिदिन अधिकतम 200 रुपया और वो तब जब कोई शिकायत कर्ता वहां जाएगा और समय पर काम न होने की वो वहां पर शिकायत दर्ज करेगा। अब वो कैल्कुलेट करके अधिकतम 200 रुपये मिलेंगे। यहां पर आपने कहा कि जाने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं सरकार उसको पैसा पहुंचाएगी बिना उसकी शिकायत के। लेकिन जब पहला बिल निरस्त हो रहा है और दूसरा लागू होगा तो उसमें किसी भी अमाउंट का जिक्र ही नहीं है यानि की अभी तो स्कोप था शिकायत का, अब ना तो शिकायत का स्कोप रहा और ना ही सरकार उसको कोई पैसा पहुंचाएगी क्योंकि इसमें किसी भी रकम का कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। अब या तो सरकार ये बताए कि इस संशोधन के बाद कुछ और संशोधन लाएगी, या वो राशि कब और कहां तय की जाएगी इसका अर्थ ये हुआ कि जब ये बिल लागू होगा और पिछला निरस्त होगा तो फिर एक प्रकार से कोई व्यवस्था तब तक नहीं होगी जब तक की दरें निर्धारित नहीं होंगी। इसलिए हमारा ऑब्जेक्शन है इस पर सरकार ध्यान दे। दूसरा, इस पूरे बिल को, विधेयक को पैनल्टी क्लॉज से जोड़ा गया है, पैनल्टी क्लॉज मीन्स मनी, मनी यदि धन से क्षतिपूर्ति, धन से क्षतिपूर्ति सामान्यतः और कम्पैरिटिवली कोई सजा उस प्रकार की नहीं है जिससे अधिकारियों के मन में कोई भय उत्पन्न हो, ठीक है एक अधिकारी ने समय

पर काम नहीं किया उसके ऊपर 100 रुपये, दो सौ रुपया, पांच सौ रुपया या जो भी दर आप तय करेंगे, जब भी करेंगे वो उससे ले लिया जाएगा लेकिन उसके जो Annual Appraisal Report है उसको जोड़ेंगे, अगर कोई अधिकारी एक बार दो बार, दस बार, बीस बार भी पैनल्टी देता है, उसके बावजूद भी वो एकाउंटबेबल नहीं है, उसकी एकाउंटेबिल्टी तो फिक्स ही नहीं हो रही, उसकी प्रमोशन से कहीं जोड़कर नहीं देखा जा रहा, उसकी निष्क्रियता से उसको नहीं जोड़ के देखा जा रहा, उसकी अक्रमणयता को किसी चीज से जोड़कर नहीं देखा जा रहा, तो सिर्फ मोनिटरी लॉस उस अधिकारी को हो, इससे अधिकारियों में किसी भी प्रकार का कोई भय उत्पन्न होने वाला नहीं है क्योंकि आप विधिवत रूप से उसकी वार्षिक रिपोर्ट में एंटरी दर्ज करेंगे तो उसका एक असर जाएगा पर मुझे लगता है कि सरकार कहीं न कहीं इस पूरे मामले में उत्साह तो दिखा रही है और उसका क्रैडिट भी लेना चाहती है लेकिन इसको टीथ देने वाली जो बात है, उसकी कमी नजर आ रही है और टीथ अगर नहीं है तो फिर कोई रकम सुनिश्चित नहीं है, कोई दरें निर्धारित नहीं है, कोई उसके वार्षिक रिपोर्ट में एंट्री नहीं होगी तो फिर ये सदन तय करे कि वास्तविकता में इस बिल का क्या हश्र होगा, जब तक ये दोनों चीजें इसके साथ नहीं जुड़ जाती, ये तो सरकार ही बता सकती है, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : उप मुख्यमंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, पहले तो इस बिल पर चर्चा करने से पहले मैं एक और लाईन अगर आप इजाजत दें तो किसी और मुद्दे पर कहना चाह रहा था। अभी यहां हम लोग और उसका जिक्र किसी समय सोमनाथ भाई ने भी किया था पिछले सदन में, पिछली बैठक में। कि साईन्स टैक्नॉलाजी काफी

वेल हो गयी है। जिस वक्त ये सदन निर्मित हुआ था उस वक्त टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं रही थी। इस बिल पर आने से पहले मैंने आपसे इजाजत लेके एक बात कहने की परमीशन मांगी है। तो सरकार और विधान सभा का सचिवालय साथ मिलकर कुछ डिजाईन बना लें क्योंकि हम इतना पेपर इन सब रिपोर्टस को ले करने पर, बिल को ले करने पर, बहुत सारे कागज रोज मेरे पास भी आते हैं। हर एक के पास, सदस्य के पास आते हैं। मोटी-मोटी रिपोर्टस हम लोग देते हैं। 200-250 कापी हमारे सेक्रेटरी साहब मांगते हैं बार-बार। तो इन सब की जगह अगर हम यहां इलेक्ट्रोनिक सिस्टम को ठीक से डवलप कर लें। दूसरा महसूस ये हो रहा था कि क्योंकि इसलिए याद आया क्योंकि मेरे फोन की बैट्री खत्म हो गयी, ड्रेन हो गयी तो यहां अब तो छोटी-छोटी ट्रेन इसमें भी चार्जर मिलने लगे हैं। हम तो यहां बैठ के पब्लिक सर्विस में बैठे हैं तो कुछ इस तरह की व्यवस्थायें भी अगर विधान सभा सचिवालय की ओर से हो तो उसको मैं सरकार की तरफ से सिर्फ इतना आश्वस्त कर सकता हूं कि इसके लिए, इसको आधुनिक बनाने के लिए धन की कमी नहीं होने देंगे सरकार की तरफ से।

मैं पूर्व मुद्दे पर आता हूं क्योंकि मेरे जेहन में था इसलिए मुझे लगा कि बिल पर आने से पहले बिल पर मैं, हमारे सदन में नेता प्रतिपक्ष का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि तमाम राजनीतिक गहमागहमी के बीच वो इस महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा के दौरान वो सदन में आये भी लेकिन चाहे जो भी हो। हम इस विधान सभा का मैथेमैटिक्स, जाहिर सी बात है और हम सब जानते हैं कि बड़ी बातों में हम चाहे कुछ भी कहें कि हमारे साथी क्रिटिकल रूप से इसमें चाहे जो भी सवाल उठायेंगे लेकिन साथी हैं और उनका कहीं-न-कहीं नजरिया इस सरकार के साथ खड़े होने के साथ-साथ काम का आयेगा। मैं निश्चित रूप

से एक मिनिस्टर इन्चार्ज होने के नाते, उप मुख्यमंत्री होने के नाते इस चीज को लेके यकीन था कि विजेन्द्र भाई ने जरूर उस बिल को बहुत क्रिटिकल नजरिये से, नेता प्रतिपक्ष के नजरिये से पढ़ा होगा और मैं चाहता था कि उनकी स्कैनिंग भी सदन में आये। उनकी स्कैनिंग भी सदन में हमारे समक्ष आये ताकि कहीं गलती से भी, चूक से भी ऐसी कोई चीज छोटी हो जो हम से, हमारी टीम से जो हमारे ऑफिसर्स बैठे हैं या जिन लोगों के यहां इस पर फार्मली या इनफार्मली चर्चा हुई उन सबसे यहां पर भी हमारे सदस्य साथियों ने यहां रखा। वो छूटे तो कम से कम विधान सभा में सत्ता और प्रतिपक्ष दोनों की जिम्मेदारी को निभाते हुए हम एक बेहतर बिल दें, बेहतर सारी चीजों को बहुत क्लीन, स्कैन करके दें। हम आपको बहुत-बहुत आभार करता हूं कि आप आये और इसमें चर्चा में भी शामिल हुए। अब जगदीश जी ने तो बड़ी बात मतलब समर्थन पहले से दे ही दिया था। वो हमारे मित्र है कुमार विश्वास जी वो हमेशा एक लाईन पढ़ते हैं कि–

सारी धरा भी साथ दे तो और बात है।
तू जरा भी साथ दें तो और बात है।

मैं कहना चाहता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज का। 26 नवम्बर की आपने बात की सदन में। सबसे पहले प्रक्रिया आपने, जो हमारा प्रियेम्बल है। हम सबको वो याद दिलाके एक शपथ के रूप में याद दिलायी। हम भारत के लोग। मुझे लगता है ये बिल बहुत व्यावहारिक तरीके से, जो मुद्दे उठाये हैं, मेरे कुछ साथियों ने भी उठाये हैं, आपने भी उठाये, उन पर भी आऊंगा। तो मुझे लगता है ये बिल बहुत व्यावहारिक तरीके से। आज इस बिल पर चर्चा करके मैं उम्मीद करता हूं पास होगा। इस बिल को पास करके हम बहुत व्यावहारिक तरीके से संविधान

को अंगीकार करने के दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं इससे बढ़िया तरीका संविधान को सेलिब्रेट करने का शायद ही कभी 1949 के बाद से आज तक आया होगा कि इस संविधान के प्रियेम्बल में लिखे गये वाक्य को ध्यान में रखते हुए एक बिल सदन में पेश किया गया कि संविधान सभा में इस तरह से कुछ किया गया कि आज के दिन 26 नवम्बर। बिल बहुत-बहुत अच्छे-अच्छे पास हुए होंगे और खराब भी पास हुए होंगे लेकिन 26 नवम्बर को संविधान को याद करके, 26 नवम्बर, 1949 को याद करते हुए ये बिल पेश किया गया। इसके लिए मैं हालात जो भी रहे हो लेकिन हमारे हिसाब से बिजनिस एडवाइजरी कमेटी के हिसाब से मन्डे को उस पर चर्चा होनी थी पर जिन हालातों में भी हुआ। आज कहते हैं न ब्लैसिंग-इन-डिसगाइज आज के दिन इसमें और महत्वपूर्ण बना दिया और आज के दिन, आज की तारीख ने इस बिल को और महत्वपूर्ण बना दिया। क्योंकि ये वास्तव में 'वी दा पीपल' को मजबूत करने वाला बिल है 1949 में 26 नवम्बर को 'हम तमाम लोगों के द्वारा' हम जैसे तमाम उस वक्त के आम नागरिकों द्वारा उसका प्रतिनिधित्व करने वाली जो संविधान सभा थी, उसमें लिखा कि में 'वी दा पीपल' लेकिन बहुत मौकों पर और मैं समझता हूं कि एक आदमी जब किसी सरकारी दफ्तर में जाता है तो बहुत सारे मौकों पर 'वी दा पीपल' अचानक पलटकर 'हू दा पीपल' हो जाता है। यहां बैठे हुए लोगों से पूछते 'हू दा पीपल' वो कहता है कि संविधान में पहला नाम मेरा ही लिखा हुआ है मैं 'वी दा पीपल' वो कहता है 'हू दा पीपल'। 'वी दा पीपल' वास्तव में मजबूत हो रहा है और आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे सतेन्द्र भाई ने याद दिलाया कि सत्ता पक्ष में आम आदमी पार्टी बैठी है और आम आदमी पार्टी भी आज स्थापना के तीन साल पूरे कर लिए है और मैं पार्टी की

स्थापना दिवस चुना इसलिए था क्योंकि संविधान में कुछ चीजें रह गई है अधूरी इसमें लिखी हुई, उनको पूरा कर सके, उनकी तरफ देश को और लेकर जा सकें।

तो मैं कह रहा था कि एक आम आदमी वास्तव में मजबूत हुआ है। इसकी कमजोरी पर और एक मशहूर शायर ने लिखा था सब लोग हम लोग गाते रहे हैं आंदोलनों में :

100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है
दिल पर रख के हाथ कहिए देश ये आजाद है।

ये जो मैथमैटिक्स नहीं लगाया मौलवी साहब ने। लेकिन फिर भी 30 परसेंट 70 परसेंट में उन्होंने बांटा ये 30 परसेंट जिस अच्छी अवस्था में खुशहाली में जी रहा है इसको और खुशहाल बनाए रखना बाकी के 70 परसेंट लोगों की भी डिग्निटी देने के लिए एक महत्वपूर्ण बिल साबित होगा उसको भी मजबूती देगा। एक आम आदमी को पहली बार फील होगा ये सरकार वाकई उसकी सरकार है। मैं सदन में पहले भी एक बात कह चुका हूं कि हमारा मानना है कि चुनाव लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है उसका आधार स्तम्भ है। लेकिन सिर्फ चुनाव भर को लोकतंत्र कह देना लोकतंत्र के प्रति नासमझी है 5 साल में एक बार अपना राजा चुनना और अपने छोटे-छोटे काम के लिए अगले 5 साल उसके सामने गिड़गिड़ाते रहने को ही लोकतंत्र नहीं कह सकते। पहले राजा महाराजा खानदानी हुआ करते थे अब 5 साल में चुने जाने वाले होने लगे तो लोकतंत्र का वो तरीका ठीक नहीं है। इसलिए इस कानून से ये बिल जब अमेंड होके जब कानून के रूप में सामने आएगा तो अंग्रेजी में एक शब्द है ना पब्लिक सर्वेंट हम लोग यूज करते हैं आज मैं कही सुबह अध्यापकों की एक बैठक में था। वहां चर्चा

हुई इस पे कि ये जो शब्द 'पब्लिक सर्वेंट' पहली बार वास्तव में अपने सही शब्दों में आएगा क्योंकि ऐसे तो नेताओं को मंत्रियों को सबको 'पब्लिक सर्वेंट' कहा जाता है सामान्यतः अंग्रेजी जब में बोलते हैं तो पब्लिक सर्वेंट और हिन्दी में बोलते हैं तो 'अधिकारी' वो अंग्रेजी से तरजुमा, अंग्रेजी से हिन्दी में आते-आते अधिकारी कैसे हो जाता है अधिकार संपन्न हो जाता है वो पब्लिक सर्वेंट था अंग्रेजी में वे सुविधाजनक हिन्दी बना ली। अधिकारी वहां भी शाह है तो सही मायने में 'पब्लिक सर्वेंट' का जो कान्सेप्ट है अंग्रेजी ने तो ठीक कर लिया हम हिन्दी में भी ठीक कर लेंगे इसके बाद। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि 'पब्लिक सर्वेंट' 'विधान सेवक' या 'जन सेवक' कहा जाए सही मायने में उसकी तरफ एक बड़ा कदम है। मैं दो तीन चीजों पर क्योंकि चर्चा में आई, हाईलाइट करना चाहता हूं कि एक तो हमने विजेन्द्र जी ने उठाया कि अमाउण्ट का जो कम्पन्शेसन की अमाउण्ट का है, उसका कहीं जिक्र नहीं किया। मैंने उस दिन रखा भी था अपने इन्ट्रोड्यूज करते हुए भी इसमें हम अमेंड करना चाहते हैं कि "The Government shall prescribe the compensation to be paied gererally or services-wise or department-wise और मैं कम से कम आश्वस्त करना चाहता हूं कि वो 10 रुपये वाला तो नहीं होगा। उससे ज्यादा ही होगा इससे बेहतर ही होगा बेहतर मतलब किसी के ऊपर जुर्माना लगे उसको बेहतर नहीं समझना चाहिए लेकिन सख्ती के क्रम में देखें तो उससे बेहतर स्थिति के लिए ही होगा। तो इस लिए वे आश्वस्त रहें और जो सैक्शन 12(2) की आपने बात कही उसमें भी हमने जिक्र किया है कि competent officer is competent to take action also जो काम्पीटेंट आफिसर होगा, हरेक विभाग में तय किया जाएगा। वो सिर्फ जुर्माना लगाने के लिए नहीं आगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी उसके खिलाफ ले सकेगा। थोड़ा अधिकारियों के नजरिये से देखूं। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमने इस बिल

को सिर्फ इस बिल के अमेन्डमैंट के शब्दों और lines के साथ न देख करके समग्रता में सरकार ने इस बिल को लाने की तैयारी की है। उसको भी देखना पड़ेगा और मैंने उस दिन भी जिक्र किया था कि आज एक एसडीएम के पास में हर महीने करीब साढ़े बारह सौ के करीब कम्पलैण्ट्स आती है। ये सर्टिफिकेट्स बनाने के लिए आते हैं, शायद वो फीगर्स 60-65 पर-डे है। 60 से 75 अलग-अलग तरह की उसमें शिकायतें होती हैं। 60 से 75 सर्टिफिकेट्स बनाने का काम एक एसडीएम को पर-डे करना है। उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट के और काम भी करने हैं। उसको एडमिनिस्ट्रेटिव भी 50 काम दिये जाते हैं सरकारों की तरफ से और साथ-साथ उसे जनता की ओर से 50-60-70 सर्टिफिकेट्स का फील्ड वेरिफिकेशन करके उसे रोजाना वो भी देना है। और उसको यह भी सुनिश्चित करना है कि कोई आदमी अगर बिहार में पैदा हुआ, राजस्थान में पैदा हुआ, वहां के ओबीसी के हिसाब से उसका डेटा भी मैच करना है। ये भी सुनिश्चित करना है कि वहां से जानकारी ऑथन्टिक आए। कोई फर्जीवाडा करके न आए। थोड़ी सी अव्यवहारिकता थी हमारी प्रक्रिया में। सिर्फ आम जनता के लिए ही नहीं बल्कि जो सरकार में काम कर रहे हैं उनके लिए भी प्रक्रिया को व्यवहारिक बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने पहले सेल्फ अटेस्टेशन से लेकर ऐफिडेविट, सेल्फ डिक्लेरेशन की प्रक्रियाएं लागू की। उसके बाद इस कानून का पालन करना अधिकारियों के लिए भी आसान है। उन परिस्थितियों में हम अधिकारी से उम्मीद करें कि 60-65-70 वो सर्टिफिकेट वो रोजाना इश्यू करेगा और सारी तस्दीक करके, सारी छानबीन करके करेगा। बाकी काम भी करता रहेगा और वो गलत भी नहीं होने देगा। मुझे लगता है कि किसी एक डिपार्टमेंट की एक छोटी सी टीम के लिए ज्यादती था। पहले उनकी ज्यादतियों को आसान किया फिर कहा

कि आपकी ज्यादतियां आसान करती है सरकार। अब अगर काम नहीं होगा तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। और मुझे लगता है प्रोत्साहन देने के लिए इसीलिए इसमें क्लॉज डाला कि जो ऑफिसर कम्पीटैण्ट तरीके से काम करेंगे ऑफिसर्स भी बाहर से नहीं आ रहे हैं, इसी देश की जनता के हिस्से हैं, हमारे ही बहुत सारे लोगों के यहां बैठे या जो जनता जिसको हम रिप्रजेन्ट कर उसी में से निकल कर आ रहे हैं तो अगर हमें कहीं व्यावहारिक दिक्कतें हैं तो उनको भी व्यवस्था की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनकी भी चीजों को दूर करके उनकी परेशानियों को दूर करके एक अनुकूल माहौल बनाकर हम लोग इस बिल को इम्पलीमैंट करना चाहते हैं। इसीलिए ऑफिसर्स के अनुकूल बनाया है, इसीलिए आम जनता के अनुकूल बनाया। ऑफिसर्स के अनुकूल माहौल बनाया। फिर एक सख्ती का बिल लाये, उस सख्ती के बिल को फिर इन्ट्रोड्यूस करेंगे और उसको जब इम्पलीमैंट करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है ऑफिसर्स से भी सहयोग मिलेगा। एक छोटी सी चीज अक्सर चुनावी भाषणों में शेयर करता था मुझे लगता है यहां कभी शेयर नही की। अपने एक्सपीरिएन्स में से मैं आज गोपाल राय जी ने पत्रकारों का बिल पेश किया। मैं भी एक पत्रकार था। और यहां से 50-60 किलोमीटर दूर गांव है मेरा, वहां से आकर मैंने दिल्ली में पत्रकारिता शुरू की। अपनी पहली सेलरी से क्योंकि पुराने वेज पर मिली गोपाल भाई। उससे मैंने एक बाइक खरीदी और उस बाइक से दिल्ली से मैं अपने गांव जाता था। जब मैं गांव जाने लगा वहां तो रास्ते में एक बार मेरी बाइक पंचर हो गई। मुझे लगा जहां बाइक पेंचर हुई, उससे थोड़ी दूर....जो स्कूटर चलाते हैं वो बाइक वाले का दर्द भी जानते हैं। बाइक पेंचर होती है तो उसका दर्द बाइक वाला ही समझ

सकता है, जिसने बाइक चलाई है, बाइक रखी है। तो बाइक पेंचर हो गई मैंने उसको थोड़ी दूर घसीटा। आगे जाकर देखा एक पेंचर वाला मिल गया। मैं खुश हुआ जी भगवान बड़ा मेहरबान है। जहां पर बाइक पेंचर हुई वहां पर पेंचर वाला मिल गया। मैंने भगवान को धन्यवाद किया पेंचर जुड़वाया आगे चला गया। फिर अगले हफ्ते बाइक पेंचर हो गई। तीन चार बार बाइक पेंचर हुई। फिर धीरे-धीरे मेरी समझ में आया। हर बार मुझे लगता जहां बाइक पेंचर होती है उससे 500 मीटर 100 मीटर ज्यादा से ज्यादा 500 मीटर तो कभी हुआ होगा। 100-50 मीटर पर पेंचर वाला मिल जाता है। मैं बड़ा खुश होता तो भगवान बड़ा अच्छे कर्म आगे आ रहे हैं। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो तो वो पेंचर वाला कील बिखरेता था। और मैं बड़ा खुश होता रहता था। तो वह पेंचर वाला कील बिखेरता रहता था उसकी वजह से मेरी बाइक पेंचर होती थी और फिर मैं उसकी दुकान में जाता था और उसकी दुकान चलती थी। एक हल्के से मजाकिये लहजे में एक गम्भीर बात कहना चाहता हूं जिसको हम सबको बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है। और हमारे अधिकारी भी बैठे हैं, उनको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। हकीकत यह है कि पिछले 60-70 साल में हमने डैमोक्रेसी में आम आदमी की जिंदगी में अपने दफ्तर को चलाने के लिए, अपनी राजनीति को चलाने के लिए, अपने औरा के चलाने के लिए अपने अधिकारी होने को चलाने के लिए बहुत कीलें बिखेरी हैं। बहुत कीलें बिखेरी हैं। अपने अधिकारी होने को चलाने के लिए बहुत कीमत दी है। वह चाहता है, गंभीरता से देखा जाये। वह अपने होने का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहता है, वह आसानी से नहीं बनता। because of processes and systems that we have adopted. वह चाहता है कि उसका जन्म

होने का प्रमाण पत्र मिल जाये। आदमी पैदा हुआ, सामने खड़ा हुआ। अपने साइज के साथ, अपनी उम्र के साथ। लेकिन नहीं साहब, नहीं बनेगा। क्यों? सिफारिश लाओ। तो हम जाते हैं अपने एमएलए के पास। माई बाप, जन्म प्रमाण-पत्र नहीं बन रहा है। फोन कर देते तो जन्म प्रमाण पत्र बन जाता। बेटा बड़ा हो गया, बच्चा बड़ा हो गया, उसको एडमिशन नहीं मिल रहा। माई बाप सिफारिश कर देते तो एडमिशन मिल जाता। सिस्टम चेंज करने की जरूरत है। क्यों आये मेरे पास? क्यों आये एमएलए के पास? क्यों सीनियर अधिकारियों के वो धक्के खाये? सिस्टम में वह किलक करे, उसका काम होने लगे। सर्टिफिकेट लेना हो। माई-बाप पिताजी को डेंगू हो गया है। हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा, सिफारिश लगा देते। क्यों? मैं सबकी बात नहीं करता। राजनीति में बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं। जिनका मैं तहे दिल से सम्मान करता हूं। लेकिन सिस्टम ने इस कील वाले बिजनिस को नर्चर किया है। क्योंकि सिस्टम में बैठे हुए बहुत सारे लोगों को लगता रहा है कि अगर आम आदमी चार बार धक्के खाकर मेरे पास नहीं आया, तो मेरी राजनीति कैसे चलेगी, मेरी दुकान कैसे चलेगी? मैं जब उससे वोट मांगूंगा या नोट मांगने वाला, नोट मांगूंगा तो वह पिघलेगा कैसे? क्योंकि मेरे तो एहसान ही नहीं हैं उसके ऊपर। हम आम आदमी के ऊपर एहसान कर सकें, राजनीतिक रूप से या रिश्वत के रूप से इसलिए हमने सिस्टम को,....बहुत शॉर्प लोग हुए हैं, राजनीति में, ब्यूरोक्रेसी में, ऐसा नहीं है कि उनको समझ नहीं थी कि क्या हो रहा है। लेकिन जानबूझकर सिस्टम को ऐसा बनाकर रखा गया कि आम आदमी धक्के खाता रहे। इसीलिए मैं बहुत रोमांचित महसूस कर रहा हूं आज क्योंकि जब हमारी पार्टी का जन्म हुआ था, उससे पहले 10 दिन मैं उपवास पर बैठा

था और अनशन किया था जन्तर मंतर पर। उस दिन हमने कहा था कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने जा रहे हैं। हम यही परिवर्तन लाना चाहते हैं कि किसी आम आदमी को अपना काम कराने के लिए किसी एमएलए के, किसी सीनियर आफीसर के चक्कर न लगाने पड़ें। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह बिल उस दिशा में, उस राजनीति को बदलने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बस, ये अब रामबाण है। इसको जहां जहां से छुओगे, वहां-वहां से सब कुछ पारस होता हुआ चला जायेगा। ऐसा नहीं होने वाला। अभी सिस्टम में कमियां हैं। इनको दूर करना है। हम सब को मिलकर करना है और एक-दूसरे के प्रति मैं विजेन्द्र जी से कहूंगा कि बहुत क्रिटिकल होकर करना है। हम जिस चीज को छेड़ना चाहते हैं, जिस चीज को करना चाहते हैं, जिस चीज को लाना चाहते हैं। सबसे पहली नजर, मेरी उम्मीद रहती है अपने साथियों से भी रहती है। बहुत सारे लोग बहुत क्रिटिकल रहते हैं पर सबसे ज्यादा पैनी नजर मेरी रहती है आपकी तरह से बहुत पैनी निगाहों से उस चीज को देखा जायेगा, क्रिटिसाइज किया जायेगा। क्रिटिकल एनलाइसिस किया जायेगा। तो बहुत सारी और चीजें करनी पड़ेंगी। पर ये बिल निश्चित रूप से बहुत मजबूती देने वाला होगा। जैसा मैंने विजेन्द्र जी की बात पर कहा कि आप आश्वस्त रहिए...एकाउन्टेबिलिटी....

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप इसे सिलेक्ट कमेटी को भेज दीजिए। वह इस पर रेट तय करके ले आये।

उप मुख्यमंत्री : नहीं, नहीं, रूल्स में लायेंगे, इसको इसमें अमैण्ड करने की जरूरत नहीं है। इसको रूल्स में लेकर आयेंगे "as may be prescribed". हमेशा सरकार के पास जहां प्रेस्क्राइब का अधिकार होता है, वहां प्रैस्क्राइब करेंगे। रूल्स में प्रैस्क्राइब करेंगे।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : फिर आपको नोटिफाइ करना पड़ेगा।

उप मुख्यमंत्री : वह तो नोटिफिकेशन सरकार करेगी। सदन में ले आयेंगे। ...वह बाद में करेंगे न। वह रूल्स में लेकर आयेंगे। क्योंकि अलग-अलग डिपार्टमैंट के हिसाब से डिपार्टमैन्ट वाइज करेंगे। किसी और काम के अलग-अलग तरीके से हो सकता है कल को कुछ और सर्विसेज जुड़ें गवर्नेन्स में। उन सर्विसेज के लिए अलग से पैनल्टीज लगेंगी। किस सर्विस की क्या व्यावहारिकता है, उसके कितना डिले स्वीकार्य है, व्यावहारिक हो सकता है, कितना समय लगना है। ये अलग-अलग सर्विसेज के लिए अलग-अलग डिपार्टमैंट इसीलिए हमने सोचा कि इसको इवाल्व होने देते हैं, इसे आगे करते हैं। मैं यही कहते हुए कि यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है और जो मैंने कील वाला आपको एग्जाम्पल सुनाया, उसके बेस पर दो लाइनें पढ़ते हुए इस सदन से अनुरोध करूंगा कि इस बिल को पास किया जाये कि–

हम सारे शहर को खुद्दारी से भर देंगे,
झुकाने पड़ते हैं जहां-जहां सर वो दर हटा देंगे।

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 23 नवंबर, 2015 को सदन में पुरःस्थापित दिल्ली (समयबद्ध सेवा प्रदानार्थ नागरिक अधिकार) (संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 11) को पारित किया जाये। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह पारित के लिए आपके सामने खंडवार रखूं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो पेपरलेस की बात की, मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि अपनी कमेटी विधान सभा की इस ओर अग्रसर है। हिमाचल

प्रदेश की विधान सभा पेपरलेस है। उसका अध्ययन करके कमेटी आ चुकी है, अपनी रिपोर्ट दे चुकी है और यह सब कुछ हमने सेंट्रल मिनिस्ट्री, इनफोर्मेशन टेक्नोलॉजी को भेज दिया है। विधान सभा की मंजूरी देने के लिए हमारी पूरी तैयार है और यह पेपरलेस हो जाये। यह पूरा काम विधान सभा कर चुकी है। पिछले महीने भेज दिया गया था।

अब विधेयक पर खण्डवार विचार होगा। प्रश्न है कि खण्ड 2, जिसमें धारा 1 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है—

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहे,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहे,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

खण्ड 2, जिसमें धारा 1 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गया।

अब प्रश्न है कि खण्ड 3, जिसमें धारा 2 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है—

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहे,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहे,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

खण्ड 3, जिसमें धारा 2 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गया।

प्रश्न है कि खण्ड 4, जिसमें धारा 3 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव सर्वसमति से पास हुआ।

खण्ड 4, जिसमें धारा 3 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि खण्ड 5, जिसमें धारा 4 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

खण्ड 5, जिसमें धारा 4 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गया।

प्रश्न है कि खण्ड 6, जिसमें धारा 6 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध मेमं हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

खण्ड 6, जिसमें धारा 6 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गया।

प्रश्न है कि खण्ड 7, जिसमें धारा 7 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

खण्ड 7, जिसमें धारा 7 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि खण्ड 8, जिसमें धारा 8 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

खण्ड 8, जिसमें धारा 8 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गया।

प्रश्न है कि खण्ड 9, जिसमें धारा-9 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

खण्ड-9, जिसमें धारा-9 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गया।

प्रश्न है कि खण्ड 10, जिसमें धारा 9 के बाद नई धारा-9 (क) को जोड़ने का संशोधन है, विधेयक का अंग बने

यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

खण्ड-10, जिसमें धारा-9 के बाद नई धारा-9 (क) को जोड़ने का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गया।

प्रश्न है कि खण्ड-11, जिसमें धारा-9 (क) के बाद नई धारा-9 (ख) को जोड़ने का संशोधन है, विधेयक का अंग बने यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

खण्ड-11, जिसमें धारा-9 (क) के बाद नई धारा-9 (ख) को जोड़ने का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गया।

प्रश्न है कि खण्ड-12, जिसमें धारा-10 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने यह प्रस्ताव सदन के सामने है—

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

खण्ड-12, जिसमें धारा-10 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गया

प्रश्न है कि खण्ड-13, जिसमें धारा-11 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने यह प्रस्ताव सदन के सामने है—

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

खण्ड-13 जिसमें धारा-11 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गया

प्रश्न है कि खण्ड-14, जिसमें धारा-12 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने यह प्रस्ताव सदन के सामने है—

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

खण्ज्ञ-14, जिसमें धारा-12 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गया।

प्रश्न है कि खण्ड-15, जिसमें नई धारा-12 (क) जोड़ने का संशोधन है, विधेयक का अंग बने यह प्रस्ताव सदन के सामने है—

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

खण्ड-15 जिसमें धारा-12 (क) जोड़ने का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गया

प्रश्न है कि खण्ड-16, जिसमें धारा-15 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने यह प्रस्ताव सदन के सामने है—

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

खण्ड-16, जिसमें धारा-15 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गया

प्रश्न है कि खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बनें यह प्रस्ताव सदन के सामने है—

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बन गये।

अध्यक्ष महोदय : विधेयक को पारित करना अब उप मुख्यमंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी प्रस्ताव करेंगे कि 'दिल्ली (समयबद्ध सेवा प्रदानार्थ नागरिक अधिकार) (संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 11)' को पारित किया जाए।

उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से सदन के समक्ष प्रस्ताव रखता हूं कि 'दिल्ली (समयबद्ध सेवा प्रदानार्थ नागरिक अधिकार) (संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 11)' को पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : इसके विरोध में एक वोट पड़ी है। हम बताएंगे क्यों पड़ी है।

अध्यक्ष महोदय : एक सदस्य की ओर से ना उत्तर आया है तो इसलिए, चलिए हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

अतः प्रस्ताव सर्वसम्मति से विधेयक पास हुआ।

माननीय सभी सदस्यों का विशेष-विशेष धन्यवाद, नेता प्रतिपक्ष और जगदीश जी का भी विशेष आभार और धन्यवाद। अब सदन की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 27 नवम्बर, 2015 को अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही दिनांक 27 नवम्बर, 2015 को अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

विषय सूची

सत्र-2 भाग (2) बृहस्पतिवार, 26 नवम्बर, 2015/5 मार्गशीर्ष, 1937 (शक) अंक-19

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2.	26/11/2008 के पीड़ितों की स्मृति में दो मिनट का मौन	3
3.	संविधान दिवस	4-5
4.	ध्यानाकर्षण 'औरंज द डे' पर	6-24
5.	प्रस्ताव (नियम-66-67)	25-33
6.	अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था	33-43
7.	प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण	43-46
8.	विधेयकों का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण	46-103